स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -14 ■ अंक - 336 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 मई 2016 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

सुरक्षित यात्रा सुविधा मुहैया कराना हमारा उद्देश्य -राजीव मिश्र

■ आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, गोरखपुर में आरपीएसएफ, द्वितीय वाहिनी का दीक्षांत समारोह संपन्न

गोरखपुर ब्यूरो : द्वितीय वाहिनी, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, रजही कैम्प, गोरखपुर में 41वें बैच के प्रशिक्षणोपरांत कुल 97 आरक्षी प्रशिक्षुओं (91 पुरुष एवं 6 महिला आरक्षी) का दीक्षांत समारोह एवं परेड 28 अप्रैल को पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न हुई. समारोह के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने परेड का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी भी ली. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रतन चंद, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पी. एन. राय, अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त विजय खातरकर, कमांडिंग ऑफिसर, रेलवे सुरक्षा विशेष बल श्रीमती सहारिश सिद्धीकी एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों सहित वायु सेना, जीआरडी सेना, सशस्त्र सीमा बल, सिविल पुलिस के अधिकारी एवं रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

समारोह में उपस्थित प्रशिक्षु आरक्षियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का अवसर है कि इस प्रशिक्षण केंद्र से अब तक 40 बैच के प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय रेल परिवार के सदस्य बन चुके हैं. उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के आधुनिकीकरण पर बल दिया. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में शेष पेज 7 पर...

19 डीआरएम की हो गई पोस्टिंग

छह महीनों से ज्यादा अतिरिक्त कार्यभार देख रहे निवर्तमान अधिकारियों ने ली चैन की सांस

रेलवे बोर्ड ने अंततः 22 अप्रैल को 19 मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) की पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए. इनमें से ज्यादातर अधिकारियों ने तत्काल अपने-अपने नए पदभार ग्रहण कर लिए हैं. जबकि छह महीनों से ज्यादा समय तक डीआरएम का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे निवर्तमान 19 अधिकारियों (डीआरएम) ने चैन की लंबी सांस ली है.

नए पदस्थापित हुए 19 डीआरएम के नाम और मंडल इस प्रकार हैं..

1. मोहित सिन्हा, आईआरएएस, मालदा टाउन मंडल, पूर्व रेलवे.
2. प्रशांत मिश्रा, आईआरएएस, तिनसुकिया मंडल, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे.
3. नरेश लालवानी, आईआरएसई, पालघाट मंडल, दक्षिण रेलवे. शेष पेज 7 पर...

चार महीनों में भी स्थापित नहीं हो पाई रेलवे की टिकट प्रिंटिंग मशीन

सुरेश त्रिपाठी

11 करोड़ की मशीन खा रही है धूल, महीने भर से फाइल जीएम के पास पेंडिंग

मुंबई : भारतीय रेल का कायापलट करने के लिए रेलमंत्री सुरेश प्रभु बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर रेलवे की सुस्त नौकरशाही उनके साथ कदमताल नहीं कर पा रही है. परिणामस्वरूप यात्रियों द्वारा रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों की चमकीली तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करके भारतीय रेल की चमक बढ़ाई जा रही शेष पेज 7 पर...

सभी सीनियर डीएसटीई 'स्किल दक्षता विकास' पर फोकस करें –अरुण सक्सेना

■ उत्तर मध्य रेलवे में 'वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर्स सम्मेलन संपन्न

इलाहाबाद ब्यूरो : रेलमंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए उत्तर मध्य रेलवे के सिगनल एवं दूरसंचार विभाग को दक्षता सिगनल शील्ड प्रदान की गई है. इस स्थिति को अगले सत्र में बनाए रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों के सापेक्ष लक्ष्य निर्धारित करने हेतु 27-28 अप्रैल को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में 'वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर्स सम्मेलन' का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर महाप्रबंधक अरुण सक्सेना एवं सभी विभाग अन्य प्रमुखों ने सम्मेलन को संबोधित किया. सभी विभाग प्रमुखों ने अपने वक्तव्य में संरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सिगनलिंग के कारण कोई दुर्घटना न होने पाए.

उन्होंने सभी वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर्स को यह भी निर्देश दिया कि स्किल दक्षता विकास कार्यक्रम पर फोकस करें तथा पर्यवेक्षकों एवं अनुरक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र का पूरा ज्ञान हो. संरक्षा संबंधी गतिविधियों तथा उपकरणों की निगरानी के लिए पूर्वानुमान तथा बचाव अनुरक्षण हेतु डाटालागर एक महत्वपूर्ण उपकरण है. उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे में ट्रेन परिचालन में सुधार हेतु चालू कार्यों के संरक्षित कार्यान्वयन शेष पेज 7 पर...

12533 पुष्पक एक्स. के कंडक्टर ने वेटिंग के बजाय जनरल टिकटधारी को दी बर्थ

- वेटिंग वाला रेलकर्मी था
- जीरो टिकट देखकर उसे बेदखल किया

मुंबई : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेलयात्रियों को ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर उन पर बहुत मेहरबानी की है. इससे यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान होने वाली यात्री सुविधा संबंधी शिकायतों का काफी हद तक त्वरित निदान संभव होने लगा है. इसके बावजूद यात्रियों के सतत संपर्क में रहने वाले रेलकर्मी अपनी अवैध कमाई का कोई न कोई रास्ता निकाल ही ले रहे हैं. जबकि उन्हें यह भी मालूम है कि उनकी इन अनैतिक हरकतों की शिकायत अब सीधे रेलमंत्री तक की जा सकती है, तब भी उन्हें किसी बात का डर नहीं लग रहा है.

ऐसा ही एक वाकया शनिवार, 23 अप्रैल को 12533 पुष्पक एक्स. में कानपुर के बाद देखने को मिला. गाड़ी के बी-1 कोच में किसी यात्री के नहीं आने पर बर्थ नंबर 12 खाली थी. कोच कंडक्टर इस्माइल सिद्धीकी ने उक्त बर्थ पहले राजेंद्र मिश्रा नामक यात्री को दे दी, जो कि अपनी फेमिली के साथ वेटिंग टिकट पर उसी कोच में यात्रा कर रहे थे. कुछ देर बाद आकर सिद्धीकी ने मिश्रा से टिकट मांगा, जो कि उन्होंने दिया. जीरो अमाउंट का टिकट देखते ही वह समझ गए कि उक्त यात्री (राजेंद्र मिश्रा) रेलकर्मी है, इसीलिए उसकी टिकट वापस देते हुए उससे पैसा मांगने की उनकी जुर्रत नहीं हुई और वापस चले गए.

पुनः कुछ देर बाद उन्होंने कोच के अटेंडेंट से मिश्रा को टॉयलेट के पास बाहर बुलाया और उनसे कहा कि वह उनके लिए दूसरी बर्थ का इंतजाम कर रहे हैं और उक्त बर्थ उन्होंने दूसरे यात्री को दे दी है. हालांकि मिश्रा का कहना है कि उन्होंने भी उनको पैसा ले लेने की बात कही थी, मगर उनसे पैसा नहीं लिया और वह बर्थ उन्होंने उनके सामने ही दूसरे यात्री को दे दी और उससे पैसा भी लिया, जबकि उक्त यात्री जनरल टिकट वाला था. इसके बाद जैसा कि अनुमानित था, न तो उन्होंने मिश्रा को बर्थ दी, और न ही फिर वह पलट कर कोच में दुबारा आए. परिणामस्वरूप मिश्रा को अपने परिवार सहित दूसरे यात्रियों के साथ एडजस्ट होकर लखनऊ से मुंबई तक की यात्रा करनी पड़ी.

राजेंद्र मिश्रा (पीएनआर नंबर 2317225333, वेटिंग लिस्ट नंबर 3,4,5) का कहना है कि बर्थ नंबर 12 हालांकि भोपाल तक ही खाली थी, यदि वह मिल जाती, तो उनकी बेटी और पत्नी को थोड़ा आराम मिल जाता. मगर कंडक्टर के लालच और उनके रेलकर्मी होने की वजह से उनके परिवार को इस यात्रा में भारी कष्ट सहना पड़ा. पता चला है कि कंडक्टर ने सेकेंड एसी कोच में भी कुछ बर्थें ऐसे ही यात्रियों को बेचीं थीं. इसके अलावा एक यात्री, जो कि उनको बर्थ नंबर बताकर और उसे मार्क करने को कहकर टॉयलेट गया था और उसकी पत्नी उक्त बर्थ पर बैठी थी, उससे कंडक्टर ने इस बीच तीसरी बार आकर कहा कि आपके आदमी अब तक नहीं आए, अगर वह कानपुर के पहले नहीं आए, तो वह उक्त दोनों बर्थें किसी दूसरे यात्रियों को आवंटित कर देंगे. जबकि संबंधित यात्री की उक्त दोनों बर्थें एचओ कोटे से आरक्षित हुई थीं. इस बात को भी कंडक्टर ने नजरअंदाज कर दिया.

संबंधित यात्री द्वारा इसकी शिकायत डीआरएम, लखनऊ मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे को की गई है. डीआरएम ने सीनियर डीसीएम से इसकी जांच करने और सभी तथ्यों की छानबीन करके आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने को कहा है. अब रेलमंत्री सुरेश प्रभु को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी शिकायतों पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई हो, बल्कि की गई विभागीय कार्रवाई से सम्बंधित यात्री को भी अवगत कराया जाए, क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि यात्री शिकायत तो कर देता है, मगर उक्त शिकायत पर क्या विभागीय कार्रवाई की गई, इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया जा रहा है.

झांसी स्टेशन एवं मंडल परिसर से अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स हटाए गए

झांसी : झांसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा 24 अप्रैल को झांसी स्टेशन एवं झांसी शहर में रेल भूमि पर अवैध-अनधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग/बोर्ड के माध्यम से हो रहे वाणिज्य प्रचार पर गंभीर रुख अपनाते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया गया.

झांसी मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक विनीत सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक गिरीश कंचन के नेतृत्व में संजीव यादव एवं प्रदीप सुडेले, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (प्रचार) द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से रेल भूमि पर हो रहे अनधिकृत वाणिज्य प्रचार का सफाया किया गया. इस अभियान में मुख्य रूप से सीपरी स्थित कच्चे पुल एवं रेलवे माल गोदाम क्षेत्र से अवैध प्रचार हटाया गया.

इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे. अवैध प्रचारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति पाई जाती है, तो रेल प्रशासन द्वारा फर्म/प्रचारकर्ता दोनों के विरुद्ध दंडात्मक एवं सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

जानकारों का कहना है कि रेल परिसर और शहरी रेलवे भूमि पर यह अवैध-अनधिकृत विज्ञापन या वाणिज्य प्रचार संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही अथवा देखरेख की कमी के कारण हो रहा है. अब यह अवैध विज्ञापन हटाने की मुहिम चलाई गई है, तो यह अच्छी बात है, मगर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह ताकीद की जानी चाहिए कि वह आते-जाते इस पर निगाह रखें और इन होर्डिंग्स और बोर्ड्स को अब रेलवे भूमि या रेल परिसर में लगने न दें. उनका यह भी कहना है कि यदि पुनः यह बोर्ड्स या होर्डिंग्स लगे पाए जाएं, तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए.

शराब तस्करी में रेलकर्मियों के शामिल होने की खबरों पर यूनियन ने जताया विरोध

हाजीपुर : बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार में देशी-विदेशी सभी प्रकार की शराब को प्रतिबंधित कर दिए जाने से गुजरात की ही तरह बिहार में भी बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी शुरू हो गई है. 26 अप्रैल को पटना से प्रकाशित लगभग सभी छोटे-बड़े दैनिक अखबारों में राजधानी एक्स., संपूर्णक्रांति एक्स. और श्रमजीवी एक्स. आदि गाड़ियों में दिल्ली से विदेशी शराब लाए जाने की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुईं. इस तस्करी के आरोप में पकड़े गए लोगों को उक्त खबरों में रेलकर्मी बताया गया था. इस पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ईसीआरकेयू) ने कड़ा ऐतराज जताया.

ईसीआरकेयू के महामंत्री एस. के. पांडेय ने उक्त खबरों का विरोध करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) अरविंद कुमार रजक को एक लिखित ज्ञापन देकर उक्त भ्रामक खबरों का खंडन जारी करने का अनुरोध किया. ज्ञापन में कॉम. पांडेय ने कहा कि उपरोक्त गाड़ियों से शराब लाए जाने के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा गया है, वे रेलकर्मी नहीं, बल्कि वह सब ठेकेदार के आदमी हैं. ऐसी भ्रामक खबरों से न सिर्फ तमाम रेलकर्मी आहत महसूस कर रहे हैं, बल्कि इससे रेलवे और रेलकर्मियों की छवि भी खराब हुई है.

पिछले दिनों कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित कार्यालयों की दीवारों को जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स के करीब 42 बच्चों ने कलात्मक कलाकृतियों से रंग दिया, जिससे सभी दीवारें सुंदर दिखने लगीं. परंतु विडंबना यह है कि 'प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान' के तहत इस मुफ्त में किए जाने वाले कार्य के लिए भी रेल प्रशासन अनुमति देने में हीलाहवाली करता है. कल्याण स्टेशन पहुंच चुके कला शिक्षुओं को देखकर स्टेशन स्टाफ के कठिन प्रयासों से रेल प्रशासन की अनुमति के बाद उक्त दीवारों पर कलात्मक कलाकृतियां सजाई गईं.

रे.सु.ब. सोलापुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन

सोलापुर : 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल संगठन, सोलापुर मंडल, मध्य रेलवे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. रक्तदान करने का मुख्य कारण सोलापुर के सरकारी अस्पताल श्री छत्रपति शिवाजी महराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापुर में गरीब मरीजों के लिए रक्त की अचानक भारी कमी हो जाना था.

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती सब लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं. परंतु अखिल भारतीय रे.सु.ब. संगठन, सोलापुर मंडल के 27 पदाधिकारियों/सदस्यों ने बाबा साहेब की यह जयंती गरीब मरीजों के लिए अपना रक्तदान करके मनाया. इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार दुबे ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए रक्तदान शिविर में उपस्थित रहकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय राऊत भी उपस्थित थे. सिविल हॉस्पिटल की डॉ. अदिती पारेख की टीम द्वारा शिविर संचालित किया गया.

नवरात्रि के चलते सिविल हॉस्पिटल, सोलापुर में अचानक रक्त की भारी कमी पैदा हो गई. हॉस्पिटल की प्रमुख डॉ. अदिति पारेख के गरीब मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने अनुरोध पर आरपीएफ संगठन के पदाधिकारियों ने फौरन रक्तदान करके पर्याप्त मात्रा में अस्पताल को रक्त उपलब्ध कराया. इस पवित्र कार्य में आरपीएफ संगठन को सोलापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार दुबे का भी उल्लेखनीय योगदान प्राप्त हुआ.

इस अवसर पर अखिल भारतीय रे.सु.ब. संगठन के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राजेश मिश्रा और रे.सु.ब. संगठन, सोलापुर मंडल के अध्यक्ष विक्रम सिंह चाहर तथा आरपीएफ निरीक्षक, यात्री सुरक्षा, सोलापुर रोहित सिंह सहित संजय मोरे, ए. जी. रुपनर, एकनाथ गडदे, डी. बी. कचरे, एस. एम. बोडके, सचिन, एस. बी. कांबले, जे. एस. नागुडे, राजु गायकवाड़ आदि आरपीएफ पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने रक्तदान किया. इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की विशेष बात यह थी कि विक्रम सिंह चाहर एवं राजेश मिश्रा ने नवरात्रि का 9 दिन उपवास रखकर और अन्न ग्रहण न करने के बाद भी रक्तदान किया.

रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हुए अखिल भारतीय रे.सु.ब. संगठन, सोलापुर मंडल के अध्यक्ष विक्रम सिंह चाहर. उनके उत्साहवर्धन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार दुबे, मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय राऊत और अखिल भारतीय रे.सु.ब. संगठन के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राजेश मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारीगण.

दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन : मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन या माफिया?

सुरेश त्रिपाठी

दक्षिण रेलवे में पिछले करीब पंद्रह दिनों से मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन 'दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन' और रेल प्रशासन के बीच काफी घमासान चल रहा है. रेल प्रशासन चाहता है कि उसके निर्धारित नियम-कानून के अनुसार ही जोनल रेलवे का कामकाज चलना चाहिए, जबकि द.रे.म.यू. का मानना है कि चूंकि वह मान्यताप्राप्त है, इसलिए वह जैसा कहेगी, या जैसा चाहेगी, वैसा ही होगा, क्योंकि भारतीय रेल अथवा अन्य 15 जोनों के नियम-कानून द. रे. पर लागू नहीं होते हैं. इस मामले में यूनियन का साथ यहां बीसों साल से बैठे मुख्य कार्मिक अधिकारी (सीपीओ), मुख्य परिचालन प्रबंधक (सीओएम) और वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (एसडीजीएम) जैसे कुछ अधिकारी भी दे रहे हैं, जो कि यूनियन की 'एक्स्ट्रा पर्क्स' पर रहते आए हैं? द. रे. में यूनियन और प्रशासन के बीच चल रही इस तमाम उठापटक पर 'रेलवे समाचार' की अब तक बहुत गहरे से नजर रही है.

मामला यह है कि ऐसा माना जाता है कि द.रे. में वह अधिकारी जीएम नहीं बन सकता है, या विभाग प्रमुख (पीएचओडी) बनकर नहीं बैठ सकता है, जिसे यूनियन नहीं चाहती है. इसका ज्वलंत उदाहरण लगभग चार साल पहले के. के. अटल की अंतिम समय में बदली गई पोस्टिंग थी. यही प्रयास मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) के पद पर अजीत सक्सेना की पोस्टिंग को लेकर किया गया. यूनियन नहीं चाहती थी कि अजीत सक्सेना की द. रे. के सीसीएम पद पर पोस्टिंग हो. जानकर बताते हैं कि यही वजह रही है कि करीब तीन महीनों तक उक्त पद खाली रहा, मगर अजीत सक्सेना की पोस्टिंग नहीं होने दी गई. अंततः जब उनकी पोस्टिंग नहीं रुक सकी, तो यूनियन ने उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए अपने शीर्ष नेताओं का सहारा लिया.

बताते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और सामंजस्यपूर्ण कार्य-व्यवहार के लिए शीर्ष नेताओं के कहने या हस्तक्षेप से सीसीएम ने यूनियन के महामंत्री को एक-दो बार अपनी तरफ से फोन कर लिया. जानकारों का कहना है कि सीसीएम श्री सक्सेना द्वारा कॉल कर लेने को यूनियन ने उनका अपने दबाव में आ जाना मान लिया और यूनियन की नौटंकी पुनः शुरू हो गई. उल्लेखनीय है कि इससे पहले चेन्नई मंडल के सीनियर डीसीएम वी. रविचंद्रन को यूनियन ने ही हटवाया था, उन्हें श्री सक्सेना ने सीसीएम का चार्ज लेने के तुरंत बाद पुनः उसी जगह पदस्थ करवाया, जिससे यूनियन की नाक पहले ही नीची हो गई थी. इसीलिए यूनियन नहीं चाहती थी कि श्री सक्सेना की पोस्टिंग द. रे. के सीसीएम पद पर हो.

हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि शुरू में तो जोनल शीर्ष प्रबंधन भी श्री सक्सेना की पोस्टिंग को लेकर असमंजस में था. परंतु अब उनकी ईमानदार, समर्पित और रेल-हित में अपनाई जा रही कार्य-प्रणाली को देखने के बाद वह भी उनके सहयोग में पूरी तरह से सामने आ गया है, जिससे यूनियन और उसका समर्थन करने वाले उपरोक्त 'गुलाम' अधिकारी काफी अचंभित हैं, क्योंकि इससे उपरोक्त अधिकारियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है, जो कि पिछले कुछ महीनों से सीसीएम के पद पर अजीत सक्सेना की पोस्टिंग न होने देने के लिए लगातार यूनियन को भड़काते रहे हैं? बताते हैं कि उनकी यह भीतरघात अभी-भी जारी है, जिसकी परिणति पिछले 15-20 दिनों से यूनियन और सीसीएम के बीच एक-दूसरे पर वर्चस्व कायम करने की कोशिशों के रूप में सामने आ चुकी है. ज्ञातव्य है कि सीसीएम का पदभार ग्रहण करने बाद पिछले कुछ महीनों में ही श्री सक्सेना ने महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में इमरजेंसी कोटे की करीब 18 से 20 हजार सीटें/बर्थें प्रति सप्ताह सर्वसामान्य और जरूरतमंद यात्रियों को उपलब्ध करवाई हैं. यह सीटें/बर्थें अब तक यूनियन के शीर्ष पदाधिकारी और सीपीओ, सीओएम और एसडीजीएम जैसे भ्रष्ट अधिकारी बेचते रहे हैं. इसके अलावा भी उन्होंने इतने कम समय में यात्रियों और रेल-हित के अन्य कई कार्य किए हैं, जिनकी अपेक्षा रेल प्रशासन से अब तक शायद किसी रेलयात्री ने नहीं की थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार चेन्नई मंडल में सीनियर डीसीएम ने हाल ही में 10-15 साल से एक ही जगह और एक ही बैच में काम कर रहे तमाम टीटीई एवं अन्य वाणिज्य स्टाफ का आवधिक तबादला (पीरियोडिकल ट्रांसफर) कर दिया था और बैचों की कुछ संख्या भी घटा दी थी. जैसा कि अपेक्षित था, यूनियन ने इसका विरोध किया और मामला सीसीएम तक पहुंच गया. सीसीएम श्री सक्सेना ने बैच संख्या तो पूर्ववत कर दी, मगर यूनियन का नियम नहीं माना. यूनियन का कहना (नियम) यह था कि बैच में काम कर रहे टिकट चेकिंग स्टाफ का बैच तो बदलेगा, मगर वह किसी न किसी बैच में ही रहेगा. यानि एक से दूसरे बैच में चला जाएगा. इसी प्रकार गाड़ियों में चलने वाला यात्री सुविधा (पैसेंजर एमिनिटी) का स्टाफ भी वहीं रहेगा, उसका भी सिर्फ रूट बदलेगा. यानि वह बैच में कभी काम करने नहीं आ सकता है. इसी तरह स्टेशन पर कार्यरत टीसी स्टाफ का प्लेटफार्म बदलेगा, स्टेशन नहीं. बुकिंग, गुड्स, पार्सल, आरक्षण आदि वर्गों के वाणिज्य स्टाफ की भी सिर्फ सीटें बदलेंगी, डिपो नहीं.

बताते हैं कि सीसीएम श्री सक्सेना ने यूनियन के यह नियम मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि जो नियम पूरी भारतीय रेल और अन्य जोनल रेलों में लागू हैं, वही दक्षिण रेलवे में भी लागू होंगे, यूनियन के नियम मान्य नहीं हो सकते हैं. उल्लेखनीय है कि यूनियन की दादागीरी के चलते उपरोक्त समस्त स्टाफ सहित लगभग सभी विभागों में भी यही स्थिति है, जहां 20-20 सालों से कर्मचारी एक ही जगह, एक ही डिपो में कार्यरत हैं, क्योंकि उन्हें यूनियन का संरक्षण प्राप्त है. यदि किसी अधिकारी ने उन्हें वहां से दरबदर करने का प्रयास भी किया, तो उसे या तो यूनियन ने अपने तरीके से 'समझा' दिया, और यदि वह नहीं माना, तो किसी महिला को आगे करके उस पर शारीरिक शोषण का झूठा आरोप लगाकर

उसे ठिकाने लगा दिया गया. बताते हैं कि ऐसे कई मामले विगत में होने के कारण आज तक दक्षिण रेलवे में किसी अधिकारी ने यूनियन से पंगा लेने की हिम्मत ही नहीं की. परिणामस्वरूप यूनियन की दादागीरी लगातार चलती रही, और उसके एक प्रमुख पदाधिकारी की जेब लगातार मोटी होती गई.

बताते हैं कि यूनियन का ही नियम बरकरार रखने के लिए यूनियन ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, मगर जब महाप्रबंधक स्तर से भी उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ी, तो उन्होंने अजीत सक्सेना पर भी अपना पुराना हथियार (ब्रम्हास्त्र) आजमाने की कुत्सित कोशिश की. प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सक्सेना ने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया हुआ है और अपने चैम्बर का दरवाजा खुला रखा है, जिससे स्टाफ अथवा यात्री, कोई भी कभी-भी उनसे बात कर सकता है, या पूर्वानुमति लेकर मिलने जा सकता है. गत सप्ताह जब श्री सक्सेना किसी विजिटर से अपने चैम्बर में चर्चा कर रहे थे, तभी बिना कोई पूर्व अनुमति लिए करीब 20-25 महिलाएं उनके चैम्बर में यह कहते हुए जबरन घुस गईं कि उन्हें उनसे बात करनी है. पता चला है कि श्री सक्सेना ने जब उनसे कुछ देर बाद आने को कहा, तो वह जोर-जोर से नारेबाजी करती हुई तुरंत बात करने पर जोर दिया और मिलने आए व्यक्ति को स्वयं ही बाहर जाने को कह दिया.

- **दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन के विरोध में उतरे सभी अन्य संगठन**
- **अधिकारियों का चरित्रहनन करके प्रशासन को ब्लैकमेल करती है यूनियन**
- **यूनियन के पे-रोल पर रहने वाले अधिकारी देते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा**
- **एक पार्सल पोर्टर ढाई हजार करोड़ का धन्नासेठ कैसे बन गया?**
- **यूनियन की दादागीरी के चलते रेलवे बोर्ड के नियम नहीं लागू होते द. रे. में**
- **यूनियन की मर्जी से ही होती है दक्षिण रेलवे में जीएम और पीएचओडी की पोस्टिंग?**

बताते हैं कि तब तक श्री सक्सेना को स्थिति की गंभीरता का कुछ-कुछ अंदाजा हो गया था, तभी उन्होंने कॉल करके अपनी एक महिला डिप्टी सीसीएम और अपने ओएसडी एवं पीए को अंदर बुलाया. उन्हें भी चैम्बर के बाहर खड़ी महिलाओं ने अंदर जाने से रोका. किसी तरह से जब डिप्टी सीसीएम अंदर पहुंची, तब पता चला कि उतनी ही महिलाएं चैम्बर के बाहर भी दरवाजा रोक कर खड़ी हैं, जितनी अंदर हैं. डिप्टी के अंदर पहुंचते ही और गुस्से में आ गई महिलाओं ने चैम्बर को भीतर से बंद कर लिया और गाली-गलौज करते हुए लगभग हमलावर हो गईं. तब डिप्टी की मदद से श्री सक्सेना ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया और वहां उपस्थित नारेबाजी तथा गाली-गलौज करती हुई सभी महिलाओं के फोटो लेने एवं वीडियो बनाने का आदेश दिया. बताते हैं कि जैसे ही पुलिस का नाम सुना और महिला डिप्टी, ओएसडी एवं पीए ने उनके फोटो और वीडियो लेना शुरू किया, अब तक एकदम तमतमाई हुई महिलाएं दुम दबाकर भाग खड़ी हुईं. अपना चेहरा छुपाकर सीसीएम कार्यालय से भाग रही उक्त महिलाओं के चित्र यहां बखूबी देखे जा सकते हैं.

चरित्रहनन की कुत्सित कोशिश और कार्यालयीन शांति भंग करने तथा जबरन कार्यालय में घुसने आदि के आरोप में श्री सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने अन्य के साथ 9 महिलाओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है. बताते हैं कि इसके बाद जैसे ही सीसीएम द्वारा पुलिस में लिखित नामजद शिकायत दर्ज कराए जाने का पता चला, वैसे ही एक महिला भी दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत लेकर सीसीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच गई. हालांकि पुलिस ने पहले इस बारे में ठीक से सोच-विचार कर लेने की बात कहकर उसे वापस कर दिया. दूसरे दिन सभी स्थानीय अखबारों ने यूनियन द्वारा एक ईमानदार अधिकारी (सीसीएम) को झूठे मामले में फंसाकर उसका चरित्रहनन करने और रेल प्रशासन को अपने जूते की नोक पर रखने के लिए बड़ी-बड़ी खबरें प्रकाशित होते ही यूनियन के हाथ-पांव फूल गए. (देखें स्थानीय अखबारों में प्रकाशित खबरों का कोलाज)

एक तरफ यूनियन (एसआरएमयू) ने जहां सीसीएम या रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोनल मुख्यालय सहित सभी मंडल मुख्यालयों पर रेलकर्मियों का मोर्चा निकाला, वहीं उसकी सभी विरोधी यूनियनों ने उसके खिलाफ और सीसीएम एवं रेल प्रशासन के समर्थन में मुख्यालय पर संयुक्त मोर्चा निकालकर रेल प्रशासन को ठेंगे पर रखने और महिलाकर्मियों का बेजा इस्तेमाल करके उनके द्वारा अधिकारियों पर झूठे शारीरिक शोषण का आरोप लगावाकर उनको ब्लैकमेल करने वाली एसआरएमयू की मान्यता रद्द किए जाने की मांग कर दी. इन संगठनों में दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डीआरईयू), ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंट्रोलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन आदि प्रमुख रूप से शामिल थीं. इन संगठनों के इस मोर्चे में हजारों की संख्या में रेलकर्मी और अधिकारीगण रेल प्रशासन एवं सीसीएम के पक्ष में उपस्थित थे.

जिन 9 महिलाओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें घटना के दूसरे दिन ही मंडल प्रशासन ने निलंबित कर दिया. पुलिस जांच, निलंबन और मीडिया में चारों तरफ हो रही बदनामी से घबराकर जो महिला पुलिस में सीसीएम के खिलाफ दुर्व्यवहार की फर्जी शिकायत करने गई थी, पता चला है कि उसे उसके पति ने घर से दुत्कार दिया है. बताते हैं कि उक्त महिला ने अपनी सहयोगियों और पुलिस से भी यह स्वीकार कर लिया है कि यूनियन ने ही उससे यह गलत काम करने के लिए कहा था. बताते हैं कि उसने यह भी कहा है कि उससे सीसीएम के खिलाफ की जाने वाली शिकायत के अंतिम पेज पर यूनियन के शीर्ष पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर लिए गए थे. उसे यह नहीं बताया गया था कि उक्त शिकायत में क्या लिखा गया है. पता चला है कि उसने इसी बीच रो-रोकर जो बातें अपनी सहयोगियों से कही हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्हाट्सऐप पर घूम रही है. स्थानीय अखबारों में भी ऐसी ही खबरें प्रकाशित हुई हैं. यह भी पता चला है कि विरोधी उपरोक्त संगठनों ने संयुक्त रूप से इस बारे में वीडियो एवं ऑडियो सीडी रेलवे बोर्ड को भी भेजी है.

इसके अलावा पीरियोडिकल ट्रांसफर के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुके टिकट चेकिंग स्टाफ के करीब 42 कर्मचारी दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करने के बजाय लगभग दो-ढाई महीने से अनुपस्थिति रहे, मगर यूनियन की शह पर न सिर्फ उन्हें इस दौरान रसीद बुक (ईएफटी) जारी की जाती रही, बल्कि वह यूनियन के इस आश्वासन पर यात्रियों से पेनाल्टी भी वसूलकर स्वयं को ऑन-ड्यूटी जताते रहे कि किसी भी स्थिति में यूनियन उनका कोई नुकसान नहीं होने देगी. यूनियन की दादागीरी और दोदादिलेरी की हद यह है कि उसने इस मुद्दे को जीएम पीएनएम में अपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बना दिया. यही नहीं, यूनियन ने प्रशासन से लिखित में यह भी कहा कि जो हर्जाना इन टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने वसूल किया है, उसे सम्बंधित यात्रियों को वापस करके इसकी सूचना उसे (यूनियन को) दी जाए.

बताते हैं कि जब इस मुद्दे पर यूनियन को जवाब देने के लिए सम्बंधित फाइल सीसीएम अजीत सक्सेना के पास पहुंची, तो उन्होंने जीएम को बताया कि यह एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला है, अब यह पुलिस केस तो है ही, इसके अलावा उक्त राशि को न तो रेलवे के खाते में जमा किया जा सकता है, यदि किया गया है, तो यह उससे भी ज्यादा गंभीर आपराधिक मामला बन गया है, और न ही इसे यात्रियों को वापस किया जा सकता है, क्योंकि यात्रियों शेष पेज 6 पर...

रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफर!

सुरेश त्रिपाठी

रेलवे बोर्ड ने अराजपत्रित (नॉन-गजटेड) रेल कर्मचारियों के पीरियोडिकल ट्रांसफर (आवधिक स्थानांतरण) के संबंध में 3 फरवरी 2012 को पत्र संख्या ई(एनजी)1-2009/टीआर/7 (संदर्भ - ई(एनजी)2-70/टीआर/28, दि.14.10.1970) जारी करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया था कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक या दो साल बचे हों, यदि उनके विरुद्ध कोई गंभीर किस्म की शिकायत न हो, तो उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर न किया जाए.

रेलवे बोर्ड ने उक्त दिशा-निर्देश दोनों लेबर फेडरेशनों - एआईआरएफ/एनएफआईआर - के साथ 4 मई एवं 29 जून, 2011 को हुई डीसी/जेसीएम की बैठक में नॉन-गजटेड रेलवे एम्प्लाइज के पीरियोडिकल ट्रांसफर के मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद जारी किया था. इसके अलावा रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने भी राज्यसभा में सांसद कहकशां परवीन एवं डॉ. अनिल कुमार साहनी के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में 24 जुलाई 2015 को राज्यसभा में दिए गए अपने बयान में उपरोक्त नीति और दिशा-निर्देश का ही हवाला देते हुए कहा था कि गंभीर किस्म की शिकायत नहीं होने पर सेवानिवृत्ति के अंतिम एक या दो वर्ष के दौरान कर्मचारी का तबादला नहीं किए जाने की नीति पर अमल किया जा रहा है.

■ हकीकत में भ्रष्ट किस्म के अधिकारी नहीं कर रहे हैं रेलवे बोर्ड की नीति पर अमल

परंतु जमीनी स्तर पर यह देखने में आ रहा है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश पर वास्तव में अमल नहीं किया जा रहा है. ऐसे सैकड़ों रेल कर्मचारियों की शिकायत है और वे सब इधर-उधर मारे-मारे घूम रहे हैं, मगर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. यहां तक कि उक्त दोनों फेडरेशनों से संलग्न जोनल संगठनों के पदाधिकारी भी तब तक ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जब तक कि कोई उनका 'नियर-डियर' ट्रांसफर न हो गया हो. जबकि सर्व-सामान्य कर्मचारी की उन तक पहुंच ही संभव नहीं है. ऐसे में सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े कर्मचारी का यदि सेवा के अंतिम समय में उसके पैत्रिक निवास अथवा जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद स्थाई होना चाहता है, से दूर कहीं तबादला हो जाता है, तो वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने आवास की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है, जबकि रेलवे बोर्ड की उपरोक्त नीति और दिशा-निर्देश के पीछे कर्मचारी का यही हित-साधन करने का उद्देश्य निहित है.

हालांकि इस नीति में पहले यह भी व्यवस्था थी कि यदि ऐसे किसी संबंधित कर्मचारी का तबादला किया जाना ही अपरिहार्य हो, तो या तो उसे उसकी पसंद की पोस्टिंग दे दी जाए अथवा उसे उसके पैत्रिक निवास के आसपास कहीं पदस्थ किया जाए. यह व्यवस्था अब भी कुछ मंडलों में मानवीय आधार पर जारी है. ऐसा भी देखने में आ रहा है कि सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े कर्मचारी का तबादला वह अधिकारी कर रहे हैं, जो कि स्वभावतः भ्रष्ट किस्म के हैं और वे ऐसे किसी कर्मचारी को अपने आसपास बर्दास्त नहीं कर पाते हैं, अथवा उसके सामने उन्हें अपनी आंखें चुरानी पड़ती हैं, जो कि अमूमन ईमानदार किस्म का हैं.

मजे की बात यह है कि सांसद कहकशां परवीन एवं डॉ. अनिल कुमार साहनी द्वारा उक्त लिखित प्रश्न राज्यसभा में पूर्वोत्तर रेलवे के संदर्भ में ही पूछा गया था. उल्लेखनीय है कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों सहित रेलवे में भी यह आवधिक तबादलों का समय चल रहा है. ऐसे में कई मंडलों और जोनों से ऐसे कई रेल कर्मचारियों की शिकायतें 'रेलवे समाचार' को प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सेवा के आखिरी एक या दो साल बचे होने के बावजूद दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया गया है. इन कर्मचारियों की कोई सुनने वाला नहीं है. जबकि संबंधित अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके मातहत इन कर्मचारियों को सेवा के अंतिम समय में किन-किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि उनके लिए यह ऐसा समय होता है, जब बच्चों की शादी-ब्याह से लेकर सेवानिवृत्ति के बाद रहने के लिए एक घर बनाना जरूरी होता है, वरना सेवा के दौरान तो उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वे घर-परिवार की तरफ ध्यान भी दे पाएं. इसका मतलब यह है कि भ्रष्ट किस्म के अधिकारी, ईमानदार किस्म के कर्मचारी को न तो अपने आसपास बर्दास्त कर पा रहे हैं, और न ही उनसे आंखें मिला पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं. इसके परिणामस्वरूप वह रेलवे बोर्ड की गाइड लाइन को धता बताते हुए सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े कर्मचारी का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से ही उसका तबादला अन्यत्र कहीं दूरस्थ स्थान पर कर रहे हैं. यह बात सही प्रमाणित होती है. इस मुद्दे पर जानकारों का कहना है कि चूंकि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख/प्रावधान नहीं किया जाता है कि उसके दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारी दंड के पात्र होंगे. इसीलिए कुछ अधिकारियों द्वारा पीरियोडिकल ट्रांसफर के नाम पर अपने मातहत कर्मचारियों का धड़ल्ले से उत्पीड़न किया जा रहा है. जानकारों का यह भी कहना है कि भ्रष्ट किस्म के अधिकारी इसलिए भी निश्चिन्त रहते हैं क्योंकि एक बार जैसे ही वह संबंधित कर्मचारी को जबरन रिलीव करके उसे नई जगह पर ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद उनका कोई कुछ नहीं कर पाता है और कर्मचारी भी तब कुछ कर पाने अथवा अपने बचाव का कोई रास्ता तलाश पाने में असमर्थ हो जाता है. उनका कहना है कि जब तक रेलवे बोर्ड खुद अपनी नीतियों में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है कि निर्धारित नीति का अनुपालन न करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, तब तक ऐसे कर्मचारियों को उत्पीड़न से नहीं बचाया जा सकता है.

21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस

नौकरशाही की गुत्थियां

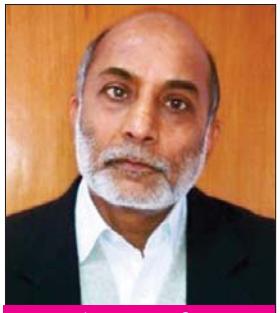

प्रेमपाल शर्मा*

वर्ष 2006 से भारत सरकार प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाती है. इसकी शुरूआत यूपीए-1 के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी. प्रयोजन था देश के उत्कृष्ट, ईमानदार नौकरशाहों के कामों को पुरस्कृत कर पूरे देश की नौकरशाही को और अच्छा होने के लिए प्रेरित करना. इसकी प्रक्रिया भी काफी पारदर्शी थी. देश भर में फैले सभी विभागों-प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस सेवा से लेकर रेलवे, डाक, शिक्षा, राजस्व, जंगल में काम कर रहे अधिकारियों के कामों की समीक्षा एवं आकलन इस दृष्टि से करना कि आम जनता को कैसे उसका अधिकतम फायदा हुआ. कौन सी बाधाएं पार करके अधिकारियों ने इसे बेहतर बनाया आदि आदि.

हर वर्ष करीब 10-15 ऐसे कामों को विज्ञान भवन में सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है. उसी दिन नौकरशाही के ढांचे में सुधार करने की दिशा में तीन-चार समूहों में संबंधित केंद्रीय मंत्री, सचिव या दूसरे क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की उपस्थिति में वरिष्ठ और युवा नौकरशाह चर्चा में भाग लेते हैं. कैबिनेट सचिव, कार्मिक मंत्री और प्रधानमंत्री के भाषणों के साथ शुरूआत, दोपहर का लजीज खाना और फिर कुछ आदर्श बातें-संवाद आदि. इस बहाने सरदार पटेल और उनकी भूमिका को निःसंदेह मौजूदा नौकरशाही के संदर्भ में जरूर याद किया जाता है.

■ आज भी वहीं गिर रहा है 70-80 के दशक से 'भ्रष्टतम' हुई नौकरशाही के 'पतन का परनाला'

■ प्रवृतियों की कसौटी पर नौकरशाहों के साथ राजनेताओं, बुद्धिजीवियों को एकसाथ कसना होगा

लेकिन जिस 'बदलाव के वाहक' बनने की गुजारिश प्रधानमंत्री ने इस बार नौकरशाही को संबोधित करते हुए कही, क्या वह इतना आसान है? यह अचानक नहीं है कि 70-80 के दशक में ही भारतीय नौकरशाही दुनिया के 'भ्रष्टतम' में गिनी जाने लगी थी. बार-बार देश के अंदर और बाहर उंगली भी उठती रही है, लेकिन 'पतन का परनाला' आज भी वहीं गिर रहा है. न जयप्रकाश का आंदोलन कुछ कर पाया, न वी. पी. सिंह की भ्रष्टाचार के खिलाफ तथाकथित मुहिम. उदारीकरण के आगाज के साथ तो यह प्रसंग उठना भी बंद हो गया. भला हो अन्ना आंदोलन का कि पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, जिम्मेदारी जैसे शब्दों के बहाने फिर जनता ने सोचना शुरू किया.

'सूचना का कानून' जैसा कानून यकीनन इस भ्रष्टतंत्र की कोख से जन्मा है और भारतीय लोकतंत्र में आजादी के बाद निःसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन नौकरशाही में गिरावट अब भी और लगातार जारी है. यदि पिछले तीन वेतन आयोगों - पांचवा 1996, छठा 2006 और अब सातवां - के खर्चों को सामने रखकर देखें, तो पता चलता है कि आखिर हाथी जैसी नौकरशाही पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी? यहां नौकरशाही का अर्थ केवल आईएएस, आईपीएस, राजस्व और रेलवे की सेवाएं ही नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी कर्मचारी शामिल हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निधि से वेतन पाते हैं. आखिर 'लोकसेवक' तो सरकारी स्कूल शिक्षक भी है, पटवारी भी, सचिव और मुख्य सचिव भी.

कुछ अच्छे कामों की फेहरिस्त में याद आ रहा है जबलपुर के जिला कलक्टर का सड़कों के बीच में आने वाले मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजास्थलों को हटाने का अभियान. उसने कैमरे के सामने सभी धार्मिक गुरूओं, मुल्लाओं के साथ बैठकें कीं, उन्हें समझाया और सफल हुआ. विज्ञान भवन में पूरी वीडियो दिखाई गई थी. तालियां भी खूब बजीं. लेकिन संवाद के सिलसिले में जब इसी मॉडल को पूरे देश में, सभी शहरों में लागू करने का प्रश्न आया, तो राजनीतिक नेतृत्व सदा की भांति पलकें झपकाने लगा. चित्तौड़गढ के जिलाधीश ने जेनेरिक दवाओं को लागू करवाकर दम लिया और गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हुईं. फिर ऐसे व्यक्ति को दवानीति के प्रमुख के पद पर क्यों नहीं बैठाया जाता, इस बात पर पसरी चुप्पी सारे आडंबर से पर्दा उठा देती है. हालांकि हर साल लाखों नौजवानों के बीच से एक हजार की भर्ती के बाद सिर्फ दो-चार काम ही नौकरशाही की सीमा और संभवनाओं को बता देते हैं.

कुछ सच्चाई इस बात में भी है कि हमारी सिविल सेवाओं में भर्ती तो सर्वश्रेष्ठ की होती है, लेकिन क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप काम नहीं मिलता, तो ये आपस के ही रणक्षेत्र में शहीद हो जाते हैं. हालांकि पिछले 25-30 सालों में न सर्वश्रेष्ठ आ रहे हैं, न वे शहीद हो रहे हैं. नेताओं के साथ गठजोड़ ने इन्हें व्यवस्था का शहंशाह बना दिया है. उच्चतम नौकरशाही के प्रशिक्षण केंद्र मसूरी, बड़ौदा और नागपुर से मिली फीडबैक बताती है कि उत्तरोत्तर ऐसे अधिकारी भर्ती हो रहे हैं, जो सिर्फ ताकत, प्रतिष्ठा और आराम की नौकरी के लिए सिविल सेवा में आए हैं. सरकार को यह पता भी है और अनेक समितियों, प्रशासनिक सुधार आयोगों की लंबी रिपोर्टों में सुधार के उपाय भी सुझाए गए हैं, लेकिन न वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में सुधार आया, न भर्ती की उम्र कम करने के लिए कोई कदम उठाया गया. नतीजा, गिरावट निरंतर जारी है.

पिछले कई वर्षों से सिविल सेवा दिवस पर एक नई सीख - आदेश, उपदेश ईजाद किया जाता है. एक बार उन्हें निडर, ईमानदारी से बात कहने की ताईद की गई थी. भरपेट चाय-पकौड़ों- रसगुल्लों के साथ सभी के चेहरों पर संतोष झलक रहा था. लेकिन जैसे ही कुछ अफसरों ने अपनी आपबीती और ईमानादारी के किस्से और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके सस्पेंड करने, गाली देने या कोई पोस्टिंग न देने के दर्जनों उदाहरण बखान किए गए, तंत्र का शीर्ष सिर्फ सुनता रहा. काश! मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व ऐसे आड़े वक्त में नौकरशाही को कुछ सहारा दे पाता. इतने बड़े जमावड़े पर हुए इतने खर्च के बाद कुछ उत्तर तो मिलने चाहिए. नौकरशाही के सही लोकतांत्रिक बनने की शुरुआत वर्ष 1979 में कोठारी समिति के लागू होने पर हुई थी. पहली पीढ़ी के गरीब दलित अपनी-अपनी भाषाओं में पढ़कर नौकरशाही में शामिल हुए थे. अब वहां सिर्फ क्रीमी लेयर, शहरी बच्चों, अमीरों का बोलबाला है और इसीलिए लुंज-पुंज निर्णय, लालफीताशाही, कामचोरी हो रही है. बड़ी मशहूर उक्ति है दूसरी-तीसरी पीढ़ी के नौकरशाह उसी अनुपात में भ्रष्ट होते हैं.

क्या हर साल के उपदेश इन्हें बदल सकते हैं?

दरअसल इसे सिर्फ नौकरशाही के क्षय या गिरावट के रूप में नहीं देखा जा सकता. हां, इनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है. जब आपको ऐसी कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दी जा रही हैं, भविष्य निधि है, मेडिकल सुविधाएं हैं, और अब तो इतनी बड़ी पेंशन भी है, तो फिर डर क्यों? कहां गया सरदार पटेल का वह स्टील फ्रेम? क्यों जंग खा गया? क्यों सिर्फ सुविधाओं की भूख ही पूरी सिविल सेवाओं या कहें सरकारी नौकरी का एकमात्र उद्देश्य बन कर रह गया है? क्या मंडल के बाद इसीलिए युवा सड़कों पर आत्मदाह कर रहे थे या गुजरात के पटेल, हरियाणा के जाट, राजस्थान के गुर्जर नौकरशाही के इसी लूटतंत्र की खातिर अव्यवस्था फैलाने पर उतारू नहीं हैं?

लेकिन क्या 'व्यवस्था', नेताओं के राजनीतिक समूह या दल इतने पाक-साफ हैं? नब्बे के दशक में कही गई इस बात को गौर से पढ़िए - वेतन-भत्ते, सुविधाओं को हड़पने के मामले में नौकरशाहों और राजनेताओं का समूह सबसे ज्यादा संगठित गिरोह है. दिल्ली सरकार से लेकर तेलंगाना, मद्रास के जन-प्रतिनिधियों के भत्तों में वृद्धि क्या इसे फिर से पुष्ट नहीं करती?

एक प्रश्न यह भी है कि जब नौकरशाह इतने ताकतवर हैं, शेष पेज 5 पर...

दक्षिण रेलवे में लगातार जारी है यूनियन की दादागीरी

रेल प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ़

दक्षिण रेलवे में एकमात्र मान्यताप्राप्त यूनियन और उसके एकमात्र शीर्ष पदाधिकारी की दादागीरी लगातार जारी है. जबकि रेल प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ़ या दिग्भ्रमित है और वह यूनियन की दादागीरी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिससे यूनियन की उद्दंडता और मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है तथा वह स्वयं को सर्वोपरि मानते हुए ही व्यवहार कर रही है. शुक्रवार, 15 अप्रैल को भी ऐसा ही एक दृश्य पेरम्बूर रेलवे ग्राउंड पर हुआ, जहां रेलवे के एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ यूनियन नेता के व्यक्तिगत सुरक्षा रक्षकों ने सिर्फ इसलिए धक्कामुक्की और गाली-गलौज किया, क्योंकि यूनियन नेता को उक्त ग्राउंड पर सुबह की चहलकदमी करनी थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खिलाड़ी अपने कुछ सहायकों को सुबह छह बजे से पेरम्बूर स्थित रेलवे ग्राउंड पर प्रशिक्षण दे रहा था. करीब 6.40 बजे यूनियन नेता उर्फ पार्सल पोर्टर अपने निजी सुरक्षा रक्षकों के साथ ग्राउंड पर आया. तभी वहां उक्त खिलाड़ी सहित प्रशिक्षण ले रहे रेलकर्मियों को यूनियन नेता के रक्षकों ने ग्राउंड से बाहर चले जाने को कहा. उनके मना करने पर रक्षकों ने उनके साथ धक्कामुक्की और गाली-गलौज शुरू कर दिया. कहासुनी बढ़ने पर वहां बड़ी संख्या में रेलकर्मी इकट्ठे हो गए और उन्होंने यूनियन नेता और उसके निजी रक्षकों को चारों ओर से घेर लिया. मामला अधिक गंभीर रुख अख्तियार करता कि तभी किसी के कॉल कर देने पर वहां स्थानीय सेम्बियम थाने की पुलिस पहुंच गई और उसने उक्त यूनियन नेता को किसी तरह बचाकर वहां से निकाला.

बाद में पता चला कि उक्त खिलाड़ी और उससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रेलकर्मी दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज संघ (एसआरईएस) के सदस्य थे. बहरहाल दोनों तरफ से किसी ने भी पुलिस में उक्त घटना की लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. तथापि एसआरईएस के एक पदाधिकारी का कहना था कि प्रतिपक्षी यूनियन के नेता और उसके निजी रक्षकों ने उसके सदस्यों के साथ मारपीट और गाली-गलौज किया. उसका कहना था कि यूनियन नेता ने दक्षिण रेलवे के सभी रेलवे ग्राउंड्स को अपनी निजी संपत्ति बना लिया है. वह जब अपने निजी रक्षकों के साथ किसी राजा-महाराजा की तरह टहलने निकलता है, तो ग्राउंड में खेल रहे सभी रेलकर्मियों और बच्चों को वहां से जबरन हटा दिया जाता है. उनका कहना है कि इस ग्राउंड को उक्त यूनियन नेता के नाम से जाना जाता है, जिसने पिछले करीब 10-12 सालों से दक्षिण रेलवे के लगभग सभी रेलवे ग्राउंड्स को अपनी निजी संपत्ति बना रखा है. जबकि यूनियन नेता का कहना है कि एसआरईएस के लोग तब से उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जब से उसका सीसीएम के साथ विवाद हुआ है. इस घटना के बाद एसआरईएस ने यूनियन नेता के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई न किए जाने और रेलवे ग्राउंड्स को यूनियन के कब्जे से मुक्त न कराने के विरोध में रेल प्रशासन और उच्च रेल अधिकारियों के खिलाफ एक मोर्चा भी निकाला.

एसआरईएस के पदाधिकारियों सहित दक्षिण रेलवे के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का भी यही कहना है कि पिछले 10-12 सालों से यूनियन और उसके पार्सल पोर्टर नेता ने दक्षिण रेलवे के लगभग सभी रेलवे ग्राउंड्स, जिनमें सीनियर एवं जूनियर रेलवे इंस्टिट्यूट्स भी शामिल हैं, पर न सिर्फ अपना अवैध कब्जा बना रखा है, बल्कि उन्हें अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करके सालाना उनसे करोड़ों की अवैध कमाई भी यूनियन नेता द्वारा की जा रही है. उनका यह भी कहना है कि यह सब रेल प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, मगर रेल प्रशासन इन रेलवे ग्राउंड्स को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई भी कदम इसलिए नहीं उठा रहा है, क्योंकि दक्षिण रेलवे और खासतौर पर चेन्नई में ही लंबे समय से जमे हुए एसडीजीएम, सीपीओ और सीएओ/सी जैसे कुछ अन्य अधिकारी यूनियन नेता की इस अवैध कमाई में भागीदार बने हुए हैं.

हाल ही में यूनियन द्वारा अपनी कुछ महिला सदस्यों को भेजकर सीसीएम के खिलाफ भी अपना पुराना छिछोरेपन वाला हथकंडा अपनाने और गलत आचरण का आरोप लगाकर उन्हें भी फर्जी दुर्व्यवहार के मामले में फंसाने की जो कोशिश की गई थी, उसमें यूनियन को मुंह की खानी पड़ी है.

- रे. बो. के दिशा-निर्देश लागू करने हेतु एसआरओए और एसआरपीओए ने लिखा महाप्रबंधक को पत्र
- वोटिंग के हिसाब से 42 और कुल संख्या के अनुसार 90, मगर हैं 180 से ज्यादा यूनियन शाखाएं
- सभी रेलवे ग्राउंड्स यूनियन के कब्जे में, भाड़े पर उठाकर करोड़ों की अवैध कमाई करती है यूनियन
- अपने ही ग्राउंड्स पर विभागीय कार्यक्रम करने हेतु रेल प्रशासन को लेनी पड़ती है यूनियन से अनुमति

इससे उक्त सभी महिला सदस्यों सहित दक्षिण रेलवे के सभी कर्मचारी और अधिकारी यूनियन की दुश्चरित्रता के विरुद्ध लामबंद हो गए हैं. मुख्य प्रतिपक्षी श्रमिक संगठन एसआरईएस, एससी/एसटी एवं ओबीसी सहित दक्षिण रेलवे के सभी कैडर आधारित संगठनों ने तो एकजुट होकर यूनियन की मान्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन तक किया है. जबकि डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल अफसरों के दोनों मान्यताप्राप्त संगठनों - 'सदर्न रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन' (एसआरओए) एवं 'सदर्न रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन' (एसआरपीओए) - ने 31 मार्च को महाप्रबंधक/द.रे. को एक लिखित संयुक्त ज्ञापन देकर मांग की है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि के गलत एवं फर्जी आरोपों सहित यूनियन की तमाम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए. उक्त ज्ञापन की प्रति 'रेलवे समाचार' के पास सुरक्षित है.

दोनों मान्यताप्राप्त जोनल ऑफिसर्स एसोसिएशनों ने इससे पहले यूनियन के खिलाफ 30 सितंबर 2014 और 1 जून 2015 को दिए गए अपने संयुक्त ज्ञापनों का हवाला देते हुए लिखा है कि यूनियन की दादागीरी को रोका जाना चाहिए. उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि यूनियन की दादागीरी न सिर्फ लगातार बढ़ रही है, बल्कि यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों के साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके साथ ही जो अधिकारी यूनियन की अवैध और नियम-विरुद्ध मांगों को नहीं मानते हैं, उन पर दुश्चरित्रता का फर्जी आरोप लगाकर यूनियन द्वारा उन्हें न सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, बल्कि चरित्रहनन करके उनकी छवि और कैरियर भी बरबाद किया जा रहा है. उन्होंने लिखा है कि यूनियन की ऐसी गलत गतिविधियों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार में वर्ष 2013 के श्रमिक संगठनों का चुनाव जीतने के बाद बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि उक्त चुनाव में वोटिंग औसत के आधार पर इस एकमात्र यूनियन को मान्यता मिली है.

दोनों अधिकारी संगठनों ने ज्ञापन में आगे लिखा है कि हाल ही में सीसीएम/द.रे. के चेंबर में यूनियन द्वारा अपनी कुछ दुष्ट प्रकृति की महिला सदस्यों को भेजकर सचरित्र और सदाचारी सीसीएम को महिलाओं के साथ दुश्चरित्रता एवं दुर्व्यवहार के फर्जी मामले में फंसाने की अत्यंत निंदनीय कोशिश की गई, इससे दक्षिण रेलवे के सभी अधिकारियों में एक भयानक चिंता और भय का वातावरण बन गया है तथा अधिकारी वर्ग अपने कर्तव्य के निर्वाह में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है. उन्होंने लिखा है कि यूनियन की ऐसी सोची-समझी और पूर्व नियोजित गतिविधियां कतई मान्य नहीं हो सकती हैं. ज्ञापन में यूनियन द्वारा विगत में की गई ऐसी आठ घटनाओं का भी विवरण दिया गया है, जिनमें यूनियन ने अधिकारियों के साथ अपशब्दों के इस्तेमाल सहित उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने तथा उन पर दुश्चरित्रता/दुर्व्यवहार के फर्जी आरोप लगाकर उनका भीषण उत्पीड़न किया है.

1. यूनियन ने पेरम्बूर स्थित रेलवे हॉस्पिटल के चीफ फिजीशियन डॉ. कलानिधि का घेराव करके उनके साथ आईसीयू में मारपीट और गाली-गलौज किया, जबकि वहां गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा था. इससे आईसीयू सहित हॉस्पिटल के सभी मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने इसके साथ सीपीओ/द.रे. द्वारा इस संबंध में यूनियन के महामंत्री को लिखे गए कंडीशनल लेटर की प्रति भी जोड़ी है.
2. दि. 23.09.2014 को यूनियन पदाधिकारियों ने पालघाट मंडल के सीनियर डीएफएम तिट्टी जॉन के साथ एडीआरएम की उपस्थिति में मंडल पीएनएम के दौरान बैठक कक्ष में ही मारपीट और गाली-गलौज किया. इससे यूनियन ने मंडल के सभी ब्रांच अधिकारियों में मानसिक एवं शारीरिक भय का वातावरण बना दिया. इसकी प्रति भी संलग्न की गई है.
3. इसी प्रकार यूनियन ने तत्कालीन डीईई/आरएस/वीएलसीवाई सत्यरतन का घेराव करके उन्हें एक फर्जी मामले में फंसाया था.
4. तत्कालीन सीनियर डीईई/आरएस/आरपीएम रामनाथन का ड्यूटी के दौरान घेराव करके उनके साथ यूनियन पदाधिकारियों ने मारपीट और गाली-गलौज की थी.
5. दि. 29.05.2015 को सीनियर डीईई/टीआरडी, पालघाट मंडल जयकृष्णन के चेंबर में दोपहर करीब 12.15 बजे यूनियन के 8 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसकर उन्हें जान से मारने, कार्यालय के बाहर उनका घेराव करने, फर्जी करप्शन मामलों में फंसाने, अखबारों में उनके खिलाफ गलत खबरें प्रकाशित करवाकर उनकी छवि खराब करके बदनाम करने आदि सहित गाली-गलौज किया गया था. यही नहीं, जयकृष्णन के घर में घुसकर यूनियन पदाधिकारियों द्वारा यह कहते हुए उनकी पत्नी और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी देकर डराया-धमकाया गया कि यदि उनके मन-मुताबिक उनका कहा नहीं किया गया तो.. इसकी प्रति भी ज्ञापन के साथ संलग्न शेष पेज 8 पर...

नौकरशाही की गुत्थियां...

पेज 4 का शेष... उन्हें इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो राजनेता अपने बच्चों को महंगे दून, सिंधिया, मेयो आदि स्कूलों और उसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ाकर भी नौकरशाही की बजाय राजनेता ही बनाना क्यों पसंद करते हैं? माधवराव सिंधिया हों या उनके बेटे ज्योतिरादित्य, दून स्कूल के राजीव गांधी के साथी अरुण सिंह, अरुण नेहरू, मेनका, अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत, अखिलेश यादव... सैंकड़ों नहीं हजारों में हैं राजनोताओं के पुत्र. आखिर राजनीति कहीं तो उन्हें इक्कीस लगती ही है. देश की लगाम सीधे तो इन्हीं के हाथों में होती है. तो बदलाव का हिस्सा बनने की बात तो सही है, लेकिन राजनेताओं को उसका उदाहरण स्वयं बनना पड़ेगा - गांधी की तरह. आजादी के संघर्षों के सबसे अच्छे स्वप्न संविधान में जरूर दर्ज हो गए, लेकिन उसके बाद सत्ता पर निरंतर वे ताकतें या दल हावी होते गए जो सिर्फ सत्ता चाहते थे.

नौकरशाही तो उन्हीं के इशारों पर नाचती है और अभी भी नाच रही है. इंदिरा गांधी को इसीलिए प्रतिबद्ध नौकरशाही (कमिटेड ब्यूरोक्रेसी) और प्रतिबद्ध न्यायपालिका (कमिटेड जुडिसियरी) चाहिए थे. और वैसा ही होता गया, कुछ अपवादों को छोड़कर. नौकरशाही के अनुभवों पर छपी किताबों - 'मोमोयर्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट' (धर्मवीर, आईसीएस), 'रेड टेप एंड व्हाईट कैप' (पीवीआरवी राव) से लेकर हाल ही में आई पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की 'द लैंड ऑफ नेता एंड बाबूडम' और 'इंडिया एट टर्निंग प्वाइंट', पूर्व कोयला सचिव पी. सी. पारेख की 'क्रूसेडर ऑर कांसिपिरेटर' और विनोद राय की 'नॉट जस्ट एकाउंटेंट' में नौकरशाही को मुट्ठी में बंद चिड़िया की तरह मसल डालने के उदाहरण भरे पड़े हैं. चित्रा सुब्रमणियम (बोफोर्स पत्रकार) की किताब 'इंडिया इज फॉर सेल' वर्ष 2000 के आसपास आई थी, इसमें राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ और दुरुभसंधियों के सैकड़ों उदहारण भरे पड़े हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धमकी भरा यह वक्तव्य, कि हर अफसर के कारनामे हमारे पास पांच मिनट में पहुंच जाते हैं, किस बात का सूचक हैं? अरविंद केजरीवाल का दावा, कि हम अभी दस-पंद्रह साल कहीं नहीं जाने वाले, उसी मानसिकता को दर्शाता है. राजनेताओं का जीवन, आचरण नौकरशाहों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार का उदाहरण हर सरकारी कर्मचारी को बताया जाना चाहिए. इसीलिए जरूरत है तो समाज के हर हिस्से में बदलाव का हिस्सा होने की. अच्छाई और बुराई समान रूप से व्याप्त है - बिल्कुल जीव-विज्ञान की इस कसौटी पर कि एक वर्गमील के क्षेत्र में मानव, पशु-पक्षी, पौधे सभी की प्रवृत्तियां समान ही होती हैं.

प्रवृतियों की इस कसौटी पर हमें नौकरशाहों के साथ-साथ राजनेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्रोफेसरों को साथ ही कसना होगा और उसकी न्यायाधीश जनता होगी. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि सरकार के कामों की गिरावट इसी रफ़्तार से चलती रही, तो निजीकरण को कोई नहीं रोक पाएगा. यह देश हित में होगा या नहीं, यह तो वक़्त ही बताएगा.

सात महिलाओं को चार्जशीट, निलंबन वापस, 8वीं ने गलती स्वीकारी, मुख्य आरोपी फरार

दक्षिण रेलवे में प्रशासन और यूनियन के बीच पिछले करीब 15-20 दिनों से चल रहे घमासान पर स्थानीय अखबारों में प्रकाशित खबरों के बावजूद चूंकि मामला चेन्नई तक सीमित था, इसलिए रेलवे बोर्ड और अन्य जोनल रेलों के अधिकारियों को बहुत कुछ मालूम नहीं हो पाया था. परंतु 29 मार्च को 'दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन : मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन या माफिया?' शीर्षक से 'रेलवे समाचार' द्वारा अपनी वेबसाइट पर विस्तृत खबर प्रकाशित किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड सहित सभी जोनल रेलों के अधिकारी इस पूरे मामले से बखूबी वाकिफ हो गए और तब जाकर रेलवे बोर्ड पर सक्रिय होने का भारी दबाव बना. इसके परिणामस्वरूप अगले ही दिन दक्षिण रेलवे के सीपीओ और एसडीजीएम को दिल्ली तलब कर लिया गया.

विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी (सीपीओ) स्वामीनाथन और वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (एसडीजीएम) आर. मुकुंदन को 'रेलवे समाचार' की उपरोक्त शीर्षक खबर के तुरंत बाद गुरूवार, 31 मार्च, यानि आज रेलवे बोर्ड में तलब किया गया है. सूत्रों का यह भी कहना है कि अब इन दोनों अधिकारियों का दक्षिण रेलवे से बाहर तबादला निश्चित है. सूत्रों का कहना है कि इनके ट्रांसफर आदेश आज ही जारी हों, या फिर हफ्ते भर बाद, मगर इनका दक्षिण रेलवे से बाहर जाना अब सुनिश्चित हो चुका है. सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड को भी अब यह लगभग पूरा विश्वास हो चुका है कि रेल प्रशासन और यूनियन के बीच विवाद को बढ़ाने अथवा हवा देने तथा निर्धारित समयांतराल पर रेलकर्मियों एवं अधिकारियों के ट्रांसफर करने के मामलों में सीवीसी एवं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लागू नहीं कराने के लिए यह दोनों अधिकारी ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, यदि इस मामले में इन दोनों की यूनियन के साथ मिलीभगत और प्रशासन के साथ भीतरघात नहीं होती, और यदि यह दोनों अधिकारी निर्धारित नियम-निर्देशों का पालन सुनिश्चित

- सीपीओ और एसडीजीएम की आज रेलवे बोर्ड में पेशी, जल्दी ही उनका बाहर जाना निश्चित
- फर्जी शारीरिक शोषण के आरोपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी
- यदि अभी यूनियन पर काबू नहीं किया गया, तो कभी अपनी गर्दन नहीं उठा सकेगा रेल प्रशासन

करते, तो यूनियन और प्रशासन के बीच औद्योगिक संबंधों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा होता.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 9 महिला रेलकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी और जिन्हें घटना के दूसरे ही दिन निलंबित कर दिया गया था, उनमें से सात महिला कर्मियों ने न सिर्फ लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार कर ली है, बल्कि अपने बेजा कृत्य के लिए रेल प्रशासन से माफी भी मांगी है. तथापि, उन्हें बुधवार, 30 मार्च को चार्जशीट थमाते हुए उनका निलंबन खत्म कर दिया गया है. हालांकि 8वीं महिला ने फिलहाल लिखित में तो कुछ नहीं दिया है, बल्कि स्वयं को छिपाए रखकर उसने जो बातचीत अपनी सहयोगियों से की थी, उसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में घूम रही है. जिससे स्पष्ट है कि वह भी अपनी गलती स्वीकार कर रही है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जिस दिन वह इयूटी ज्वाइन करने आएगी, उसी दिन उसे चार्जशीट देकर उसका भी निलंबन वापस ले लिया जाएगा. इस सबके अलावा मुख्य आरोपी, जो कि यूनियन की पदाधिकारी बताई जाती है और जिसके नाम से यूनियन ने सीसीएम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, फरार है. सूत्रों का कहना है कि उसके बारे में प्रशासन ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है.

पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस एनी रेगिना नामक महिला के नाम से सीसीएम के खिलाफ शिकायत की गई है, वह खुद पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर नहीं आई थी, बल्कि द.रे.म.यू. का एक पदाधिकारी उक्त लिखित शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आया था. पुलिस का यह भी कहना है कि उक्त महिला अब तक एक बार भी पुलिस के सामने नहीं आई है और न ही उसका कोई संपर्क पुलिस से हो पा रहा है, क्योंकि महिला ने शिकायत में अपना कोई संपर्क नंबर नहीं लिखा है. इससे मामले की जांच कार्रवाई भी अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कथित फर्जी शिकायत में महिला ने सीसीएम के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा है कि 'सीसीएम ने उसके साथ 'तुम्हारी शक्ल-सूरत ही ऐसी बनी हुई है कि तुम्हारी तरफ तो कोई आदमी देखेगा भी नहीं, जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका शारीरिक शोषण भी किया.'

हालांकि व्यंग्य में जानकारों का कहना है कि 15-20 फुट दूर बैठकर कोई अधिकारी किसी महिला का शारीरिक शोषण कैसे और किस तरह कर सकता है, और यदि वास्तव में ऐसा हो सकता है, तब तो ऐसे अधिकारीगण अवश्य ही 'वेदव्यास' के खानदानी होंगे!! उनका कहना है कि ऐसे ही बेसिर-पैर के आरोप लगाकर अब तक रेल प्रशासन और कई अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, और अब तक न सिर्फ कई अधिकारियों का कैरियर खराब किया जा चुका है, बल्कि उन्हें तमाम जिल्लत झेलते हुए चेन्नई से बाहर ट्रांसफर भी झेलना पड़ा है.

इस संदर्भ में सूत्रों ने एक अत्यंत विश्वसनीय जानकारी देते हुए बताया कि द. रे. में कुछ खास और गिनी-चुनी महिला कर्मियों का गैर-इस्तेमाल करके अब तक निर्बाध चली आ रही यूनियन की इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल किए जाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि जिस तरह दहेज़ विरोधी कानून की धारा 498-ए के खिलाफ मुहिम की शुरुआत चेन्नई से हुई थी और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसकी पुष्टि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी, उसी तरह इस तथाकथित 'शारीरिक शोषण' के खिलाफ भी शुरुआत चेन्नई से ही होने जा रही है. उनका यह भी कहना था कि इसके साथ ही न सिर्फ रेल प्रशासन की सारी लाचारी या नपुंसकता खुलकर सामने आ जाएगी, बल्कि यूनियन की मनमानी और उसके पदाधिकारियों द्वारा अब तक कमाई गई अकूत संपत्ति की भी कलई खुल जाएगी.

इस दरम्यान पता चला है कि यूनियन का शीर्ष पदाधिकारी (पूर्व पार्सल पोर्टर), जो कि हमेशा स्कार्पियो अथवा मर्सडीज बेंज या ऐसी ही किन्हीं अन्य महंगी कारों पर द.रे. मुख्यालय में आता-जाता था, वह बुधवार, 30 मार्च को अपने एक कार्यकर्ता की स्कूटर में पीछे बैठकर किसी बहुरूपिये की तरह चोरी-छिपे महाप्रबंधक को मिलने और उनसे यह कहने गया था कि वह अपना व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके इस मामले का कोई सम्मानजनक हल करवाएं. परंतु सूत्रों का कहना है कि महाप्रबंधक वशिष्ठ जौहरी ने न सिर्फ उसे शालीनतापूर्वक भगा दिया, बल्कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि वह इस पर अपने अधिकारियों के पक्ष में खड़े हैं. जानकारों का मानना है कि यह सही समय है जब रेल प्रशासन द्वारा इस पूर्व पार्सल पोर्टर की नाक दबाकर यूनियन की मनमानियों पर लगाम कसी जा सकती है, और यदि अब भी रेल प्रशासन इस काम में कोई कोताही बरतता है, तो न सिर्फ हमेशा के लिए वह रेल प्रशासन पर हावी हो जाएगा, बल्कि फिर न तो कोई अधिकारी और न ही खुद रेल प्रशासन कभी उसके सामने अपनी गर्दन उठा सकेगा. जबकि जानकारों ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन को अपनी छवि बचाए रखने के लिए फिलहाल इस मामले से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन : मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन या माफिया?

पेज 3 का शेष... ने तो तब दंड भरा है, जब वह बिना टिकट पकडे गए थे. हालांकि बताते हैं कि फिलहाल यह मामला पुलिस को नहीं भेजा गया है, तथापि इसे भी पुलिस में भेज दिए जाने के डर से सहमी हुई यूनियन ने उससे पहले ही सीसीएम का चरित्रहनन करके कई पूर्व अधिकारियों की ही तरह उनका भी वहां से तबादला करा देने की कुत्सित साजिश रच डाली.

जानकारों का कहना है कि जिन 9 महिलाओं के खिलाफ पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है, उनमें से 3 महिलाएं वह हैं, जो विगत में बार-बार अधिकारियों के खिलाफ शारीरिक शोषण और दुर्व्यवहार का फर्जी आरोप लगाकर उन्हें चेन्नई से बाहर ट्रांसफर कराने में यूनियन की सबसे बड़ी मददगार रही हैं. पता चला है कि इनमें से सात महिलाओं ने लिखित रूप से यह कहकर प्रशासन से माफी मांग ली है कि उनको गुमराह करके यूनियन द्वारा उनका गलत इस्तेमाल किया गया है और उनको यह नहीं बताया गया था कि सीसीएम के चैम्बर में उन्हें किस साजिश को अंजाम देने के लिए ले जाया जा रहा है? इसके अलावा अन्य कई महिलाओं का भी यही कहना है कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि इसके पीछे यूनियन की क्या प्लानिंग है? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण रेलवे की 'विशाखा समिति' ने जांच के बाद उन सभी अधिकारियों को बेगुनाह-बेदाग करार दिया था. जानकारों का कहना है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि फर्जी आरोप लगाकर कई अधिकारियों का चरित्रहनन करने वाली इन महिलाओं के खिलाफ न तो आज तक कोई विभागीय कार्यवाही की गई है, और न ही इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है. विशाखा कमेटी ने भी उनके खिलाफ ऐसी कोई सिफारिश करने की जरुरत महसूस नहीं की, क्योंकि उसमें भी कुछ सदस्य यूनियन की मेहरबानियों के मोहताज रहे हैं और उनके पिट्ठू सीपीओ, सीओएम, जो यहां पिछले करीब बीस सालों से जमे हुए हैं, और एसडीजीएम जैसे अधिकारी तो हैं ही.

दक्षिण रेलवे का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां वह अधिकारी एसडीजीएम बना हुआ है, जिसे फील्ड में रेलवे के कामकाज की न तो कोई जानकारी है, और न ही उसने चापलूसी-चमचागीरी-दलाली-रखवाली के अलावा आज तक कोई काम किया है. बताते हैं कि जब उनके इमरजेंसी कोटा बेचने पर पाबंदी लगा दी गई, तो वह अपनी उठल्लू टीम लेकर सीसीएम सेल में विजिलेंस का छापा मारने जा पहुंचे थे, जहां से उन्हें कर्मचारियों ने ही दुत्कार कर भगा दिया. विश्वसनीय जानकारों का कहना है कि यह महोदय कभी 'सुशासन बाबू' के चपरासी बनकर रेलवे बोर्ड में उनके साथ काम किए थे, जिससे आज तक वह इसी मुगालते में हैं कि वह अब भी 'एमआर सेल' में ही कार्यरत हैं. हालांकि जानकर यह भी बताते हैं कि सुशासन बाबू कौन सा पानी पिएंगे, ठंडा या गरम, खाने में कौन सा सत्तू खाएंगे, कौन सा तेल-साबुन लगाएंगे, कौन से नीम की दातून करेंगे आदि-आदि का ख्याल रखने के लिए ही उनकी दुम बने रहते थे. इसीलिए सुशासन बाबू के साथ लगे आईएएस अधिकारी न सिर्फ इन्हें 'बंगला प्यून' के नाम से संबोधित करते थे, बल्कि इन्हें चपरासी से ज्यादा भाव भी नहीं देते थे.

जानकारों का यह भी कहना है कि यूनियन के साथ अब यह एसडीजीएम और सीपीओ एवं सीओएम भी सीसीएम को किसी-भी तरह चेन्नई से हटाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और इसके लिए वह हर स्तर पर प्रयासरत भी हैं. जबकि जानकारों का मानना है कि एसडीजीएम, सीओएम और सीपीओ के साथ ही 10-15-20 साल से द. रे. मुख्यालय में जमे हुए अधिकारियों को जब तक बाहर या अन्य रेलों में नहीं भेजा जाएगा, तब तक न तो द. रे. का कामकाजी वातावरण सुधरेगा और न ही यहां व्याप्त चौतरफा भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है. जानकारों का कहना है कि द. रे. के अधिकांश अधिकारी यूनियन के टुकड़ों और मेहरबानियों पर पलते हैं, जिनको सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त इनाम भी यूनियन की तरफ से दिया जाता है. इसीलिए वह पूरी सर्विस में घूम-फिरकर यहीं रहकर वह सारे गलत काम करते रहते हैं, जो यूनियन उनसे करवाती है. इसका ताजा उदाहरण यह है कि हाल ही में जब यहां के वर्तमान सीओएम का अचानक तबादला पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर में किया गया था, तब वह इसी यूनियन की पैधरणी करके पुनः चेन्नई आने में सफल रहे थे. तभी से यूनियन के पालतू बनकर उसकी सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है. उनका कहना है कि ऐसे ही भ्रष्ट रेल अधिकारियों ने कभी 'पार्सल पोर्टर' रहे यूनियन पदाधिकारी को करीब ढ़ाई हजार करोड़ का धन्नासेठ बना दिया है, जो अब दक्षिण रेलवे के लगभग सभी अधिकारियों सहित अपने शीर्ष पदाधिकारियों को भी अपने जूते की नोक पर रखता है. उनका यह भी कहना है कि दक्षिण रेलवे में वही अधिकारी जीएम बनकर आता है, जिसे यूनियन चाहती है. यदि ऐसा नहीं होता, तो करीब चार साल पहले के. के. अटल की दक्षिण रेलवे में जीएम के पद पर हुई पोस्टिंग को रेलवे बोर्ड द्वारा पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के बाद भी बदलकर पूर्वोत्तर रेलवे में नहीं किया गया होता. उनका कहना है कि यही स्थिति एचओडी/ पीएचओडी के मामलों में भी लागू होती है.

जानकारों ने बताया कि दक्षिण रेलवे मुख्यालय में जीएम चैम्बर के बगल में ही उनके चैम्बर से भी बड़ा एक कमरा कुछ साल पहले यूनियन ऑफिस के नाम पर आवंटित किया गया था. यही नहीं, उक्त कमरे को बहुत आलीशान ढ़ंग से सजाने में तत्कालीन दक्षिण रेलवे प्रशासन ने 15-20 लाख रुपए भी खर्च किए थे. मगर तभी वहां एक दबंग और ईमानदार किस्म के जीएम के रूप में दीपक कृष्ण की पोस्टिंग हो गई. उन्होंने यह कहकर उक्त कमरे में ताला लगवा दिया कि किसी रिटायर रेलकर्मी को उनके बराबर में बैठने की वह न तो अनुमति देंगे, और न ही इसे कभी बर्दास्त करेंगे. तब से लेकर आज तक उक्त कमरा बंद पड़ा हुआ है और रेलवे के 15-20 लाख रुपए पानी में चले गए हैं.

जानकारों ने यह भी बताया कि दक्षिण रेलवे में कभी एक और दबंग स्टेनली बाबू जीएम बनकर आए थे, उन्होंने भी इस यूनियन के शीर्ष पदाधिकारियों को बहुत पानी पिलाया था. यही नहीं, उन्होंने यूनियन के कई भ्रष्ट पदाधिकारियों को अपने ऊपर किए गए हमले के आरोप में नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया था. तब किसी तरह 'सुशासन बाबू' के हाथ-पांव जोड़कर **शेष पेज 7 पर...**

चार महीनों में भी स्थापित नहीं हो पाई रेलवे की टिकट प्रिंटिंग मशीन...

पेज 1 का शेष... है. जबकि फाइलों का निपटारा, प्रशासनिक कामकाज और त्वरित निर्णय आदि कुछ भी समय पर नहीं हो रहा है, गाड़ियां भी सही अथवा अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं.

रेलवे की नौकरशाही की इसी सुस्ती का एक ताजा उदाहरण सामने आया है. पता चला है कि रेलवे अब अपनी टिकटें खुद छापने जा रही है. इसके लिए बार्सिलोना, स्पेन से एक रेल टिकट प्रिंटिंग वेब ऑफसेट मशीन मध्य रेलवे के भायखला स्थित रेलवे प्रिंटिंग प्रेस में पिछले करीब चार महीनों से आकर पड़ी है. करीब 24-25 मीटर लंबी और भारी-भरकम इस मशीन की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई है. जानकारों का कहना है कि मुंबई के मौसम को देखते हुए मशीन को जंग लग जाने का खतरा पैदा हो गया है.

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इस मशीन की स्थापना (इंस्टालेशन) के लिए भी रेलवे बोर्ड ने बिजली, सिविल इत्यादि कार्यों सहित तमाम खर्च की संस्तुति पहले ही दी हुई है. तथापि पिछले लगभग चार महीनों में भी इस मशीन की स्थापना नहीं की जा सकी है. सूत्रों का कहना है कि मशीन की जमीनी स्थापना से पहले किए जाने वाले उक्त तमाम कार्य करने की औपचारिक अनुमति के लिए संबंधित फाइल मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पास पिछले करीब एक-डेढ़ महीने से पेंडिंग है, जिसके चलते उपरोक्त कार्य रुके हुए हैं.

उल्लेखनीय है कि ऐसी पांच सुपर हाई स्पीड रेल टिकट प्रिंटिंग मशीनें खरीदे जाने की वैश्विक निविदा रेलवे बोर्ड द्वारा की गई थी. प्रत्येक 11 करोड़ कीमत वाली इन पांच रेल टिकट प्रिंटिंग मशीनों की आपूर्ति का ठेका बार्सिलोना, स्पेन स्थित कंपनी को दिया गया था. यह पांच मशीनें पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण रेलवे, चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, मध्य रेलवे, मुंबई और उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में लगाई जानी हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार पू.रे., द.रे., द.म.रे. की मशीने चालू हो गई हैं, जबकि म.रे. की मशीन चार महीने पहले से आकर धूल खा रही है और उ.रे. की मशीन अभी आनी बाकी है.

ज्ञातव्य है कि भारतीय रेल में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था आने के बाद से रेलवे इन टिकटों की छपाई और आपूर्ति बाहर से करवा रही है. इसके बाद कम्प्यूटरीकृत सामान्य रेल टिकट (यूटीएस) के भी आ जाने से रेलवे का यह टिकट खर्च बहुत ज्यादा होने लगा है. सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए रेलवे को सिर्फ इन टिकटों की छपाई और आपूर्ति के लिए ही खर्च करने पड़ रहे हैं. इन टिकटों पर प्रकाशित विज्ञापनों की कमाई का पैसा भी रेलवे को नहीं मिल रहा है. जबकि टिकटों पर विज्ञापन से होने वाली कमाई हड़पकर निजी पार्टियां अब तक खूब मालामाल हो चुकी हैं.

इन पांच मशीनों के माध्यम से भारतीय रेल के सभी 16 जोनों और 69 मंडलों सहित निजी कंप्यूटर टर्मिनलों को भी आरक्षित एवं यूटीएस रेल टिकटों की आपूर्ति की जाएगी तथा इन पर प्रकाशित विज्ञापनों से रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, जो कि फिलहाल निजी पार्टियों की जेब में जा रही है. परंतु इसके लिए रेलमंत्री को अपनी बेहद सुस्त नौकरशाही को ऐंड़ लगाना होगा और उसे सरपट दौड़ने के लिए मजबूर करना होगा.

19 डीआरएम की हो गई पोस्टिंग...

पेज 1 का शेष...

4. बृजेश कुमार गुप्ता, आईआरएसई, नागपुर मंडल, मध्य रेलवे.
5. पी. के. जैन, आईआरएसई, लम्बडिंग मंडल, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे.
6. बासुदेव पंडा, आईआरएसईई, सियालदह मंडल, पूर्व रेलवे.
7. किशोर कुमार, आईआरएसईई, मुगलसराय मंडल, पूर्व मध्य रेलवे.
8. निखिल पांडेय, आईआरएसईई, इज्जतनगर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे.
9. ए. के. अग्रवाल, आईआरएसएमई, नागपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे.
10. प्रकाश भूटानी, आईआरएसएमई, तिरुअनंतपुरम मंडल, दक्षिण रेलवे.
11. संदीप मेहरा, आईआरएसएमई, रांची मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे.
12. संजय कुमार पंकज, आईआरएसएमई, इलाहाबाद मंडल, उत्तर मध्य रेलवे.
13. अमित कुमार सिंह, आईआरटीएस, वड़ोदरा मंडल, पश्चिम रेलवे.
14. एम. के. अखौरी, आईआरटीएस, धनबाद मंडल, पूर्व मध्य रेलवे.
15. एच. एस. वर्मा, आईआरटीएस, सालेम मंडल, दक्षिण रेलवे.
16. पी. रविंद्रन, आईआरटीएस, खुर्दा रोड मंडल, पूर्व तट रेलवे.
17. मुकुल जैन, आईआरटीएस, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे.
18. पुनीत चावला, आईआरएसएसई, अजमेर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे.
19. अतुल गुप्ता, आईआरएसएस, मैसूर मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे.

निवर्तमान हुए 19 वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग के ऑर्डर फिलहाल जारी नहीं हुए हैं. उनकी पोस्टिंग वैकेंसी के अनुसार अगले कुछ दिनों में किए जाने की बात कही गई है.

डीआरएम पोस्टिंग में घपला

- पांच नाम अलग से पैनल में कहां से आए?
- कुछ अधिकारियों से पैसा लेकर उन्हें चॉइस पोस्टिंग दिए जाने की हो रही है चर्चा
- डीआरएम रहते पैसा कैसे बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग लेकर गए हैं कुछ डीआरएम
- पैनल में पांच अधिकारियों के नाम जोड़े जाने में भी भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है आरोप
- निर्देश के बावजूद डीआरएम पैनल पर एसीसी का कोई अप्रूवल नहीं, कैट के आदेश को बताई गई धता
- एक चहेते अधिकारी को एडजस्ट करने के लिए एक इंजीनियरिंग अधिकारी को किया गया बेदखल
- इरकॉन के सीएमडी के चयन में भी हुआ है भारी भ्रष्टाचार
- 68 मंडलों में बनाए गए स्टोर्स कैडर के 31 एडीआरएम
- नई सरकार और नए निजाम के बावजूद कम होने के बजाय रेलवे में बढ़ा है भ्रष्टाचार

विस्तृत खबर और तथ्यों का करें इंतजार

सुरक्षित यात्रा सुविधा मुहैया कराना हमारा...

पेज 1 का शेष... 300 बेड का एक हॉस्टल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक फायरिंग रेंज बनाने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दी गयी है. उन्होंने जवानों को आधुनिक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया, ताकि वे अपराधियों से निपटने में पूर्णरूपेण सक्षम हो.

महाप्रबंधक ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा सुविधा मुहैया कराना है, जिसमें रेलवे सुरक्षा विशेष बल की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि आधुनिकतम तकनीक, उपकरण एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ सर्वसामान्य यात्री के प्रति संवेदनशीलता रेल सुरक्षा विशेष बल के लिए अत्यंत आवश्यक है. श्री मिश्र ने कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ही यात्रियों एवं रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा निर्भर है, जिसके लिए इस दिशा में सतत निगरानी की आवश्यकता है. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षी प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया. इस मौके पर महाप्रबंधक ने प्रशिक्षण केंद्र में नवनिर्मित क्वार्टर गार्ड भवन के फलक का अनावरण कर उदघाटन भी किया.

इसके पूर्व, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रतन चंद ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि जवानों को हर प्रकार की परिस्थितियों से निटपने तथा यात्री एवं रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु गहन प्रशिक्षण दिया गया है. मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रशिक्षित आरक्षियों को उनकी वर्दी की नैतिकता का बोध कराया. प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य एम. एस. खान ने प्रशिक्षण केंद्र के क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तथा प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण का ब्यौरा प्रस्तुत किया.

सभी सीनियर डीएसटीई 'स्किल दक्षता विकास' पर फोकस करें -अरुण सक्सेना

पेज 1 का शेष... हेतु जोर दिया तथा यह भी सलाह दी कि यात्री सुविधाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाए और समेकित सुरक्षा कार्यों को सितम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए. बैठक का समापन 28 अप्रैल को मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जिसमें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वर्ष 2015-16 में उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु मनमोहन गढ़वाल, मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर द्वारा सम्मानित किया गया.

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर मनमोहन गढ़वाल ने की तथा संचालन मुख्य सिगनल इंजीनियर अनिल कुमार मिश्रा ने किया.

दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन : मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन या माफिया?

पेज 6 का शेष... उक्त पदाधिकारियों को नौकरी पर वापस लाया जा सका था. इसके बाद एक और दबंग जीएम गोपी नायर भी हुए थे, जिन्होंने बताते हैं कि उक्त पदाधिकारी को कहा था कि वह उनसे किसी प्रकार का पंगा लेने की सोचे भी नहीं, वरना वह उसे फिर से पार्सल पोर्टर की वर्दी पहनाकर किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा कर देंगे. जानकर बताते हैं कि गोपी नायर की इस धमकी से डरकर ही उक्त पार्सल पोर्टर यूनियन पदाधिकारी ने आनन-फानन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी.

जानकारों का यह भी कहना है कि नरसिम्हन और थॉमस वर्गीस जैसे जीएम्स की शह पर ही यह यूनियन पदाधिकारी आज वित्तीय रूप से इतना मजबूत हो पाया है. उनका यह भी कहना है कि स्थिति यह है कि हाल ही में चेन्नई सेंट्रल पर यूनियन के लोगों द्वारा एक फ्यूज निकाल दिए जाने से आरआरआई केबिन करीब दो घंटे तक बंद पड़ गया, जिससे तमाम गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ, मगर यूनियन के डर से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि शायद इस घटना की जानकारी भी रेलवे बोर्ड को नहीं दी गई होगी, और यदि दी गई थी, तो संबंधितों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने में बोर्ड ने जो कोताही बरती है, वह उसकी प्रशासनिक नपुंशकता की ही प्रतीक है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनियन की सबसे बड़ी कमाई रेलकर्मियों से नकद वसूली जाने वाली बोनस की राशि से होती है. बोनस पर यह राशि करीब दो हजार रुपए प्रति कर्मचारी वसूली जाती है और इसका नकद भुगतान करने के लिए रेल प्रशासन पर यूनियन का भारी दबाव होता है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक कर्मचारी का प्रत्येक भुगतान उसके बैंक खाते के जरिए किए जाने का आदेश है. पता चला है कि दक्षिण रेलवे के एक मंडल ने गत दिवाली से पहले कर्मचारियों के बोनस का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों के जरिए किया. अपेक्षानुसार इस पर यूनियन ने जब विरोध किया, तो मंडल प्रशासन ने कर्मचारियों की इच्छा जानने के लिए यूनियन के सामने वोटिंग का प्रस्ताव रख दिया, जिसमें लगभग 75 से 80% कर्मचारियों ने बैंक के जरिए बोनस का भुगतान किए जाने के पक्ष में वोट किया.

बताते हैं कि इससे यूनियन को उक्त एक मंडल में बहुत भारी वित्तीय झटका लगा. यह भी बताया जाता है कि दक्षिण रेलवे में सिर्फ बोनस कलेक्शन से ही यूनियन को लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जबकि कर्मचारियों से उसे वार्षिक चंदा अलग मिलता है. जानकारों का कहना है कि यदि रेल प्रशासन कड़ाई से पूरी भारतीय रेल में सभी रेलकर्मियों को बोनस और उनके वेतन आदि का भुगतान बैंक खाते के जरिए करना शुरू कर दे, तो दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन सहित ऐसी सभी यूनियनों पर लगाम कसी जा सकती है, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को पाल-पोसकर श्रमिक हितों का अपना निर्धारित काम करने के बजाय न सिर्फ रेलवे के दैनंदिन कामकाज में अड़ंगा बनी हुई हैं, बल्कि ट्रांसफर/पोस्टिंग और प्रशासन में हस्तक्षेप के जरिए रेलवे में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई हैं. जानकारों का कहना है कि ऐसा शायद ही कोई वाणिज्य अथवा अन्य कोई डिपो होगा, अथवा ऐसा शायद ही कोई रेलवे कांट्रेक्टर या सप्लायर होगा, जिससे उक्त यूनियन पदाधिकारी की वसूली नहीं होती हो? उनका कहना है कि यही कारण है कि एक समय का यह पार्सल पोर्टर आज एक बड़ा उद्योगपति या धन्नासेठ बन गया है, जो कि रेल प्रशासन के सारे नियम-कानूनों को ताक पर रखकर दक्षिण रेलवे को अपनी मनमर्जी से हांक रहा है और रेल प्रशासन अथवा इसके शीर्ष नेतृत्व में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह इसे काबू में कर सके. इसके अलावा उपरोक्त दो-तीन जीएम्स ने जो हिम्मत दिखाई थी, उसे भी शीर्ष रेल प्रशासन प्रोत्साहन नहीं दे सका. इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि दिल्ली और रेलवे बोर्ड में बैठे कुछ अधिकारी भी यदि इसकी भुगतान सूची में शामिल हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. यही वजह हो सकती है कि यह पार्सल पोर्टर आज खुद रेल प्रशासन के लिए 'भस्मासुर' बन गया है. अब यह तमाम केंद्रीय और राज्य की शीर्ष खुफिया एवं जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे पता लगाएं कि इस पार्सल पोर्टर के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई? उपरोक्त तमाम मुद्दों पर 'रेलवे समाचार' द्वारा संपर्क किए जाने पर यूनियन के अध्यक्ष से लेकर किसी भी पदाधिकारी ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

एआईआरपीएफए की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हरिद्वार में संपन्न

हरिद्वार : ऑल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन (एआईआरपीएफए) की केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक गायत्री तीर्थ, शांति कुंज, हरिद्वार में 23-24 अप्रैल को संपन्न हुई. इस अवसर पर गायत्री तीर्थ के आचार्य सहित एआईआरपीएफए के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी, राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. झा, कार्याध्यक्ष धरमवीर सिंह, कोषाध्यक्ष बी. एल. बिश्नोई, संयुक्त मंत्री राजेश मिश्रा, उ.प.रे. के महामंत्री के. एल. बिश्नोई, द.पू.रे. के महामंत्री प्रमोद कुमार इत्यादि सहित सभी जोनों के महामंत्री एवं अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे.

सभी उपस्थित पदाधिकारियों को शांति कुंज के आचार्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला. इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री श्री झा एवं अध्यक्ष श्री रेड्डी ने आरपीएफ जवानों के समक्ष कार्य-ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं के शीघ्र निवारण में प्रशासन द्वारा की जा रही हीलाहवाली को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया. तथापि दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपस्थित केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों से अपने जोनों एवं मंडलों में समस्त आरपीएफ स्टाफ का मनोबल बनाए रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा में कोई कोताही न होने देने और उनके साथ सदैव मानवीय व्यवहार करते रहने की बात कही.

दक्षिण रेलवे में लगातार जारी है यूनियन की दादागीरी...

पेज 5 का शेष... की गई है.

6. दि. 1.12.2015 को यूनियन पदाधिकारियों द्वारा सीनियर डीओएम/टीपीजे वी. प्रसन्ना के चेंबर में जबरन घुसकर उनके साथ गाली-गलौज की गई.
7. सीनियर डीसीएम/चेन्नई बी. रविचंदर को यूनियन पदाधिकारियों द्वारा लगातार धमकाया गया. उनके साथ लगातार गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया गया. उन्हें भी फर्जी दुश्चरित्रता के आरोप में फंसाने की धमकी दी गई और अंततः प्रशासन पर दबाव डालकर उनका जबरन तबादला कराया गया, जो कि अभी हाल की ही ताजा घटना है.
8. हाल ही में एक ग्रुप 'सी' कर्मचारी (टीआई/प्लानिंग) के साथ यूनियन पदाधिकारियों ने कार्यालय समय में ही उस पर चाकू-छुरी से हमला किया, जिसे घायलावस्था में सरकारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि 2013 में हुए श्रमिक संगठनों के चुनाव में दक्षिण रेलवे के कुल 90 हजार ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' कर्मचारियों में से यूनियन को कुल 43 हजार वोट प्राप्त हुए थे. रेलवे बोर्ड के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठन को प्रत्येक 1000 कर्मचारियों पर एक अधिकृत ब्रांच (शाखा) स्थापित करने की अनुमति दी गई है. इस दिशा-निर्देश के अनुसार दक्षिण रेलवे की एकमात्र मान्यताप्राप्त 'यूनियन' को अधिकृत रूप से सिर्फ 43 शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए. यदि दक्षिण रेलवे के कुल कर्मचारियों (90 हजार) के प्रतिनिधित्व के हिसाब से भी देखा जाए, तो भी यूनियन को अधिकृत रूप से सिर्फ 90 शाखाएं स्थापित करने की ही अनुमति दी जा सकती है.

जबकि वास्तव में यूनियन ने पूरे दक्षिण रेलवे में कुल 180 से भी अधिक शाखाएं स्थापित कर रखी हैं. इनमें से आधी से भी ज्यादा शाखाएं अनधिकृत और अवैध हैं, जिनको अवैध रूप से कार्यालय उपलब्ध कराया गया है. प्रत्येक शाखा में मात्र 9 पदाधिकारी मान्य हैं. यह तथाकथित पदाधिकारी साल में पांच कार्यकारिणी बैठक करने के लिए अधिकृत हैं, जिसके लिए प्रत्येक शाखा से पांच अतिरिक्त प्रतिनिधि कर्मचारियों के साथ उक्त कथित 9 पदाधिकारियों को स्पेशल कैजुअल लीव और पास दिया जाता है. इससे मानव संसाधन की बड़े पैमाने पर हानि हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव (180x5x14=12,600 मानव घंटे) रेलवे की उत्पादकता पर पड़ रहा है. इसके अलावा कार्यालय के किराए-भाड़े सहित उसके रख-रखाव, पानी-बिजली और फर्नीचर आदि का खर्च रेल प्रशासन वहन कर रहा है, जिसे रेल प्रशासन द्वारा अविलंब यूनियन से भरने या वहन करने के लिए कहा जाना चाहिए.

उपरोक्त तमाम संदर्भों के बाद दोनों मान्यताप्राप्त अधिकारी संगठनों द्वारा ज्ञापन में महाप्रबंधक/द.रे. से मांग की गई है कि अधिकारियों और कर्मचारियों से बदतमीजी या दुर्व्यवहार करने वाले स्टाफ के साथ रेलवे बोर्ड के निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों और कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए. मुख्यालय परिसर सहित लगभग सभी रेलवे स्टेशनों एवं उनके परिसरों और ट्रेनों, कारखानों, कार्यालयों में यूनियन के तमाम भारी-भरकम बैनर/पोस्टर से न सिर्फ उक्त रेल परिसरों को गंदा किया जा रहा है, बल्कि इससे प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत अभियान' का भी खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है. यह एक गंभीर मामला है, अतः यूनियन को इन सभी गतिविधियों से न सिर्फ रोका जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए दंड सहित निर्धारित मापदंडों एवं दरों के अनुसार सरकारी/रेलवे परिसरों में प्रचार अथवा विज्ञापन करने के लिए यूनियन से किराया-भाड़ा भी वसूल किया जाना चाहिए. ज्ञापन में कहा गया है कि यूनियन पदाधिकारियों से भी निर्धारित ड्यूटी कराए जाने के रेलवे बोर्ड के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, क्योंकि यूनियन पदाधिकारियों द्वारा अपना निर्धारित कामकाज नहीं किए जाने से बड़े पैमाने पर रेलवे की उत्पादकता प्रभावित हो रही है. इसके अलावा अधिकारियों/सुपरवाइजरों से अधिकृत यूनियन पदाधिकारी और महिला प्रतिनिधि भी पूर्व अनुमति लेकर मिल सकते हैं. महिला प्रतिनिधियों को प्रशासन की तरफ से तय महिला अधिकारी या प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही अधिकारियों/सुपरवाइजरों से मिलने की अनुमति होनी चाहिए. ऐसी प्रत्येक बैठक की वीडियोग्राफी होनी चाहिए. बैठक या बातचीत के दौरान पैदा हुए किसी भी विवाद का निपटारा संबंधित अधिकारी से दो रैंक ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

यह बात सही है कि दक्षिण रेलवे में यूनियन द्वारा लगभग 100 अनधिकृत यूनियन शाखाएं चलाई जा रही हैं, जिससे करीब 2000 रेलकर्मी रेलवे का एक तिनका भर भी काम नहीं करते हैं. इसी प्रकार यदि यह आंकड़ा पूरी भारतीय रेल स्तर पर निकाला जाए, तो कुल मिलाकर लगभग 2,00,000 (दो लाख) कर्मचारी अपना निर्धारित कामकाज नहीं करते हैं. इसके अलवा यूनियनों ने अपनी दादागीरी की बदौलत और काफी हद तक कुछ चोर-चापलूस अधिकारियों के भ्रष्टाचार अथवा मिलीभगत के चलते प्रत्येक जोनल रेलवे के स्तर पर सैकड़ों अनधिकृत यूनियन शाखाएं स्थापित कर ली हैं. इससे न सिर्फ मानव संसाधन, मानव घंटे की बरबादी हो रही है, बल्कि इनको दिए गए कार्यालयों के किराए-भाड़े सहित पानी-बिजली और रख-रखाव, फर्नीचर इत्यादि को भी रेल प्रशासन द्वारा वहन करके सरकारी/रेलवे राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इस सब पर कड़ाई से लगाम लगाए जाने की जरूरत है.

उ.रे. के यूथ कन्वेनर्स की बैठक 2 मई को नई दिल्ली में

दिल्ली : ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने एआईआरएफ से संलग्न नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सभी मंडलों के यूथ कन्वेनर्स की एक बैठक 2 मई को नई दिल्ली में बुलाई है. उन्होंने 22 अप्रैल को सभी मंडलों के मंडल मंत्रियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने चुने हुए डिवीजनल यूथ कन्वेनर्स को उक्त बैठक में भाग लेने हेतु भेजें. पत्र के अनुसार उक्त बैठक में मंडलों एवं शाखाओं के स्तर पर बनाई गई यूथ कमेटियों के संबंध में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

आजीवन सदस्यता 3000 रु., संरक्षक सदस्यता 5000 रु., कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक **सुरेश त्रिपाठी** द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : **उमेश शर्मा** ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : **विजय शंकर** ☎ 09935266331
- भुसावल : **शेख सत्तार** ☎ 093706 15244
- रतलाम : **मुकेश सिंह** ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : **विजय नायर** ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017